द्वितीय वार्षिक रिपोर्ट
2nd Annual Report

2008-09

NIFTEM
KNOWLEDGE • INNOVATION • OUTREACH

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम)
(भारत सरकार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित)

NATIONAL INSTITUTE OF FOOD TECHNOLOGY ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT (NIFTEM)
(Set up by Government of India, Ministry of Food Processing Industries)

द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन
2ND ANNUAL REPORT

2008–2009

NIFTEM
KNOWLEDGE • INNOVATION • OUTREACH

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम)

(भारत सरकार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित)

(Set up by Government of India, Ministry of Food Processing Industries)

पंजीकृत कार्यालय :
Registered Office :
तृतीय तल, ए.एम.डी.ए. भवन, 7/6 सिरी फोर्ट इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली–110 049
3rd Floor, AMDA Building, 7/6, Sirifort Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi 110 049
फोन नं./Phone No. : 011-26497131–35 फैक्स नं./Fax No. : 26497134

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विशिष्टियां	पृष्ठ सं0
1.	निदेशक बोर्ड	1
2.	निदेशकों की रिपोर्ट	2-12
3.	लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	13-14
4.	लेखे और वित्तीय विवरणियां	15-25
5.	सीएजी की टिप्पणियां	26-28

CONTENTS

Sl. No.	Particulars	Page No.
1.	Board of Directors	1
2.	Directors' Report	2-12
3.	Auditors' Report	13-14
4.	Accounts & Financial Statements	15-25
5.	Comments of CAG	26-28

निदेशक बोर्ड

अध्यक्ष :
श्री पी. आई. सुव्रतन,
सचिव, भारत सरकार,
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (11.09.2008 तक)

श्री अशोक सिन्हा,,
सचिव, भारत सरकार,
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (23.12.2008 से)

निदेशक :
श्री अजीत कुमार, संयुक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
श्री गौतम सन्याल, संयुक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
श्री अवधेश कुमार, निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
श्री सुधीर कुमार, निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

लेखापरीक्षक :
आर. वेंदर गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
206, हेमकुन्ट हाउस,
6 राजेन्द्र प्लेस,
नई दिल्ली–110008

बैंकर :
पंजाब नेशनल बैंक
गुलमोहर इन्केलव,
नई दिल्ली–110049

रजिस्ट्रीकृत कार्यालय :
तृतीय तल, ए.एम.डी.ए. भवन
7/6, सिरीफोर्ट इंस्टीट्यूशनल एरिया,
अगस्त क्रांति मार्ग
नई दिल्ली–110049
फोन : 26497131–35
फैक्स : 26497134

BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN :

Shri P.I. Suvrathan,
Secretary to the Government of India,
Ministry of Food Processing Industries (MFPI) (upto 11.09.2008)

Shri Ashok Sinha,
Secretary to the Government of India,
Ministry of Food Processing Industries (MFPI) (since 23.12.2008)

DIRECTORS :

Shri Ajit Kumar, Joint Secretary, MFPI
Shri Goutam Sanyal, Joint Secretary, MFPI
Shri Awadhesh Kumar, Director, MFPI
Shri Sudhir Kumar, Director, MFPI

AUDITORS :

R. Vender Gupta & Associates
Chartered Accountants
206, Hemkunt House
6 Rajendra Place
New Delhi - 110008

BANKERS :

Punjab National Bank
Gulmohar Enclave
New Delhi - 110049

REGISTERED OFFICE :

3rd Floor, AMDA Building
7/6 Sirifort Institutional Area
August Kranti Marg
New Delhi 110 049
Phone No : 26497131–35
Fax No : 26497134

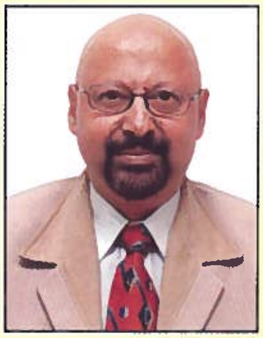

अध्यक्ष का संदेश

प्रिय अंशधारक,

मुझे आपके साथ निफ्टेम की प्रगति का साझा करते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है ।

निफ्टेम सरकार द्वारा महसूस की गई एक ऐसे संस्थान की जरूरत का परिणाम है जिसके माध्यम से भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में मूलभूत ढाँचा, प्रबंधन तथा उद्यमपरक दक्षता की माँग और उपलब्धता के बीच खाई को पाटा जा सके ।

सेक्शन–25 के तहत कंपनी के रूप में इस संस्थान की स्थापना की प्रक्रिया जारी है ।

कॉर्नेल विश्वविद्यालय अमेरिका का विश्वप्रसिद्ध संस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड लाइफ साइंसेज प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र में शैक्षणिक एवं तकनीकी उन्नति हेतु उद्यमरत है । इसकी भारतीय शाखा कॉर्नेल सतगुरू फाउन्डेशन फॉर डेवलपमेंट, हैदराबाद के साथ निफ्टेम ने सुविधाओं, प्रयोगशालाओं तथा देखरेख केन्द्रों तथा साथ ही पाठ्यक्रम निर्माण तथा शिक्षाकर्मियो के चयन आदि के मद्देनजर गठबंधन किया है ।

एच.एस.आई.आई.डी.सी. ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के समीप कुंडली हरियाणा में संस्थान के लिए 100 एकड़ जमीन आवंटित किया है तथा उस जगह पर संस्थान के भवन का निर्माण कार्य द्रुत गति से जारी है । भवन का प्रशासनिक और सेमिनार खंड लगभग पूरा हो चुका है तथा शैक्षिक, पुस्तकालय खंड, प्रयोगशालाओं तथा नमूना संयंत्रों का निर्माण कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है ।

संस्थान का पहला शैक्षणिक सत्र 2010–11 में प्रारंभ किया जाना निर्धारित किया गया है ।

मेरा विश्वास है कि संस्थान का स्थापना कार्य सही दिशा में आगे बढ़ रहा है तथा निर्धारित तिथियों पर इसके गतिविधियों के आरंभ के प्रति आश्वस्त हूं ।

(अशोक सिन्हा)
अध्यक्ष

CHAIRMAN'S MESSAGE

Dear Shareholders,

I am delighted to share with you the progress of NIFTEM.

NIFTEM is an off-shoot of the need felt by the Government of India for institutions to bridge the gap between the infrastructure, management and entrepreneurial skills required and available in the food processing sector in India.

Incorporated as a Section 25 Company, setting up of the Institute is in progress.

College of Agriculture & Life Sciences of Cornell University, USA, a world renowned institution is engaged in academic and technological advancement of the processed foods sector. NIFTEM has tied up with Cornell University through its Indian arm, Cornell Sathguru Foundation for Development, Hyderabad, for designing of facilities, labs and incubation centres as well for development of course curricula and selection of academic manpower etc.

100 acres of land at Kundli, Haryana, close to NCR has been allotted to the Institute by HSIIDC and construction of the institutional buildings is in full swing at site. The Administrative and Seminar Blocks are nearing completion and setting up of academic and library blocks, labs and Pilot Plants have been taken up already.

The Institute is slated to commence its first academic session in 2010-11.

I believe that setting up of the Institute is on track and am confident of keeping the dateline for commencement of its activities.

(ASHOK SINHA)
CHAIRMAN

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम)

निदेशकों की रिपोर्ट

संस्थान के निदेशकों को 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए कंपनी के कार्यकलापों की द्वितीय वार्षिक रिपोर्ट के साथ उस वर्ष के लिए लेखों की निरीक्षित लेखा विवरणियां एवं निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है।

पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम) की स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा कुंडली, जिला–सोनीपत, हरियाणा में की जा रही है । इसकी स्थापना राष्ट्र और विदेशों में स्थित संस्थानों के मध्य सहयोग एवं संपर्क को बढ़ावा देने वाले तथा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को उन्नति के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सर्वोत्तम अनुप्रयोगों को अपने देश में प्रचलित करने वाले, अनुसंधान एवं शिक्षा पर समान और संपूरक बल देते हुए पारंपरिक डिग्री और प्रबंधन पाठ्यक्रम के साथ–साथ उद्योगोन्मुखी लघु अवधि के पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले विश्वस्तरीय शीर्ष संस्थान के रूप में की जा रही है । निफ्टम खाद्य विज्ञान और खाद्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में समेकित रूप से अनुसंधान, शिक्षा, उद्यम देखरेख और पैठ से संबंधित केन्द्र के सृजन में पथप्रदर्शक बनेगा ।

निफ्टेम का जनादेश

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 31.08.2006 को आयोजित अपनी बैठक में कुंडली, जिला सोनीपत, हरियाणा में 244.6 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत जिसमें 8.10 मिलियन अमरीकी डालर की विदेशी मुद्रा सम्मिलित है, "निफ्टेम" स्थापित करने का और निम्नलिखित जनादेश के साथ कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अधीन संस्थान को रजिस्टर करने का अनुमोदन कर दिया था :

- देश में और अंतर्राष्ट्रीय निकायों में स्थित विद्यमान संस्थानों के बीच सहयोग और संपर्क का संवर्धन करना, घरेलू संस्थानों का एक पूर्ण डाटाबेस तैयार करना और खाद्य संस्करण क्षेत्र में सुधार लाने के लिए सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों को लाना ।
- इस क्षेत्र से संबंधित विषयों में अग्रणी और अंतरविषयी अनुसंधान का बीड़ा उठाना ।
- खाद्य उत्पादों के परीक्षण के लिए मानक के साथ–साथ प्रोटोकॉल स्थापित करने के लिए सहयोग करना ।
- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए मानव संसाधन विकास संसाधन तैयार करने के वास्ते, नियमित डिग्री और प्रबंधन पाठ्यक्रम जिनमें आगे पी.एच.डी. कार्यक्रम भी हैं, समेत उद्योग अनुकूल लघु अवधि पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करना ।
- पूर्वोक्त क्षेत्रों में क्षमता का विकास करके सरकार को नीति–निर्माण विरचित करने और विनियामक ढाँचा बनाने में सहायता देना ।
- सभी भागीदारों यथा उद्योग, सरकार तथा उपभोक्ताओं के साथ संपर्क में रहना तथा कार्य करना ताकि आर्थिक रूप से जीवंत सामाजिक रूप से प्रासंगिक रूप से संगत बने रहें तथा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को स्वस्थ और आधुनिक दिशा में किया जा सके ।

दर्शन एवं उद्देश्य

निफ्टेम रोजगार विकास, आय सृजन और विश्व व्यापार के साथ भारत के एकीकरण जो कि सरकार की राष्ट्रीय प्राथमिकताएं हैं, में केन्द्रीय भूमिका अदा करेगा । इस प्रकार निफ्टेम खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को उत्प्रेरित करेगा जिसमें प्राथमिक कृषि उत्पादों का मूल्य–वर्धन होगा । इसके परिणामस्वरूप किसानों को लाभकारी मूल्य मिलेगा, रोजगार का सृजन होगा तथा क्षतियों में कमी होगा जिससे संपूर्ण आर्थिक विकास होगा ।

निफ्टेम अनुसंधान, प्रबंधन सिद्धांत और अनुप्रयोग में नई युक्तियों तथा विशेष पहलकदमियों जिसमें खाद्य मानकों तथा खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं जैसे क्षेत्र में सरकार के साथ निकट सहयोग से नीति निर्माण में सक्रिय भूमिका भी शामिल है, के माध्यम से अपने कार्यक्षेत्र में ज्ञानात्मक आधार के विस्तार में योगदान देगा । यह अभिनिर्णायक खाद्य परीक्षण निकाय के रूप में कार्य कर सकता है ।

एफ.एस.एस.ए.आई. अधिनियम, 2006 के अनुक्रम में खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की स्थापना की गई है । यह प्राधिकरण गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए देश भर के खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को प्रमाणिकता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है जिसके कारण भी यह कोडेक्स इत्यादि से संबद्ध होगा । निफ्टेम प्राधिकरण के साथ मिलकर कार्य करेगा और प्राधिकरण के कार्यों में सहायता देने के लिए परामर्शी प्रयोगशालाओं को अवस्थापित करेगा । गुणवत्ता नियंत्रण तथा

NATIONAL INSTITUTE OF FOOD TECHNOLOGY ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT (NIFTEM)

DIRECTORS' REPORT

The Directors of the Institute have pleasure in presenting the 2nd Annual Report on the working of the institute for the financial year ended 31st March, 2009, together with the Audited Statement of Accounts for the year and the Auditors' Report thereon.

BACKGROUND

National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management (NIFTEM) is being set up by Ministry of Food Processing Industries at Kundli, Distt. Sonepat, Haryana as an apex world-class institute to promote cooperation and networking among existing institutions both within the country and International bodies and bring in International best practices for improving Food Processing Sector, provide industry-friendly short term courses including regular degrees and management courses with equal and complementary emphasis on research and education. NIFTEM would be a pioneer in creating a centre for integrated research, education, enterprise incubation and outreach in the area of food science and food technology.

MANDATE OF NIFTEM

The Cabinet Committee on Economic Affairs, in its meeting held on 31.08.2006, approved setting up of NIFTEM at Kundli, Distt. Sonepat, Haryana, at an estimated cost of Rs. 244.6 crore including a foreign exchange component of US $ 8.10 million and to register the Institute as a Section 25 Company under the Companies Act, 1956 with the following mandate :

- Promote cooperation and networking amongst existing institutions both within the country and international bodies, create a complete database on domestic resources and bring in international best practices for improving the food processing sector
- Undertake frontier and inter disciplinary research in areas of relevance to the sector
- Cooperate in setting standards as well as protocols for testing of food products
- Provide industry friendly short-term courses, including regular degree and management courses leading upto Ph.D programmes, for developing HRD resources for the food processing sector
- With capacities developed in the aforesaid areas, assist Government in policy formulation and regulatory framework
- To interact and work with all stakeholders, namely, industry, Government and consumers so as to remain economically viable, socially relevant and guide the growth of the food processing sector along healthy and modern lines.

VISION & MISSION

NIFTEM would play a pivotal role in increasing employment, generating income and integrating India with global trade, all of which are national priorities for the government. NIFTEM would thus catalyze the growth of the food-processing sector leading to value addition of primary agricultural produce. This would in turn, ensure remunerative prices to farmers, generate employment and reduce wastages, leading to overall economic growth.

NIFTEM would contribute towards expansion of the knowledge base in its field of endeavor through research, innovation in management theory and practices and new initiatives, including active role in policy making in close coordination with the government in areas like setting of Food Standards and Food Testing Lab. It may also function as a referral food testing body.

Food Safety and Standards Authority of India has been constituted in accordance with FSSA Act, 2006. The Authority will be responsible for giving accreditation to food testing laboratories throughout the country, for ensuring standards which would also involve it with codex etc. NIFTEM shall work closely with the authority and will house a referral

मानक स्थापना के क्षेत्र में एफ.एस.एस.ए.आई. के सहयोग से निफ्टेम प्रतिदर्श चयन प्रक्रियाओं, जोखिम विश्लेषण अध्ययन इकाइयों आदि को विकसित करेगा जो कीटनाशकों, संदूषकों आदि के संबंध में अधिकतम अवशिष्ट सीमा (एम.आर.एल.) के निर्धारण की आवश्यकता के विनिर्देश हेतु संसाधन (आधार सामग्री) प्रदान करेगा । संस्थान के द्वारा एम.आर.एल. संदूषकों आदि के परीक्षण हेतु वैज्ञानिक कार्यप्रणाली विकसित की जाएगी।

भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र अब भी नवजात स्थिति में है तथा आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र में क्षमता बढ़ोत्तरी के लिए सरकार द्वारा ज्यादा ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है । इस दिशा में निफ्टेम तकनीकी एवं वैज्ञानिक हस्तक्षेपों के माध्यम से तथा अपने खाद्य विज्ञान और संबंधित अध्ययनों से जुड़े पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक शिक्षा एवं अनुसंाान के द्वारा क्षमता निर्माण करके इस क्षेत्र को ऊर्जा प्रदान करने वाली एक पहलकदमी होगी । खाद्य उद्योग के व्यवसायियों के गहन पारस्परिक विचार–विमर्श के आधार पर इस उभरते हुए क्षेत्र में नेतृत्व कर्ताओं/प्रबंधकों के निर्माण की स्पष्ट आवश्यकता महसूस की गई क्योंकि खाद्य विज्ञान तथा खाद्य तकनीक विशेषज्ञों की स्पष्ट रूप से कमी है । प्रबंधकों तथा नव वृत्ति व्यवसायिकों की बढ़ती जरूरतों, खाद्य विज्ञान तथा सार्वजनिक व्यवस्था में तकनीकी अनुसंधान पर हालिया अभिकेन्द्रण, नियामक प्रबंधन हेतु विशेषज्ञों की आवश्यकता, पहुंच आदि को संज्ञान में रखते हुए निफ्टेम मांग और पूर्ति की खाई को भरने की कोशिश करेगा । निफ्टेम उद्योग के साथ दृढ़ता से जुड़कर अनुभव से संपृक्त शिक्षा प्रदान करने वाला खाद्य विज्ञान तथा खाद्य प्रौद्योगिकी में पहला राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र होगा ।

ऐसा अनुमान है कि निफ्टेम 2015 तक 1000 छात्र एवं उद्यमी तैयार करेगा, 250 उद्यमों का संपोषण करेगा, 300 अनुसंधान परियोजनाऐं, 550 लघु अवधि के पाठ्यक्रम और खाद्य मानक व परीक्षण से संबंधित 450 परियोजनाऐं प्रारंभ करेगा और इसकी पत्रिका (जर्नल) के 12,000 वार्षिक ग्राहक होंगे । इसके अतिरिक्त "निरंतर शिक्षा" जैसी पहल–कदमी, निफ्टेम द्वारा सृजित पेटेंट की उपलब्धता और निफ्टेम द्वारा प्रदत्त विपणन युक्तियों से उद्योग को लाभ प्राप्त होगा । अगले पांच वर्षों में संस्थान द्वारा 100 से अधिक पेटेन्टों का सृजन किया जाएगा जिससे लघु व मध्यम दर्जे के उद्यमों तथा ग्रामीण भारत के खाद्य प्रसंस्करण झुंडों को लाभ मिलेगा ।

परियोजना कार्यान्वयन स्थिति

निगमन

संस्थान को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अधीन 07.08.2007 को "लाभ के लिए नहीं" के रूप में निगमित किया गया है ।

भूमि

कुंडली, जिला सोनीपत, हरियाणा, में 31.37 करोड़ रुपए की लागत से हरियाणा राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड से 100 एकड़ भूमि अर्जित की गई है । 10.08. 2007 को भूमि का अधिपत्य ग्रहण किया गया था । इस स्थल का चयन इसलिए किया गया क्योंकि यह राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 1 (एक) पर श्रेष्ठ स्थल है, यह प्रस्तावित "वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे" के समीप है और यह एशिया की सबसे बड़ी फल और सब्जी मंडी आजादपुर और राई में प्रस्तावित मेगा खाद्य पार्क के बीच स्थित है ।

शिलान्यास

"निफ्टेम" परिसर का शिलान्यास 07.10.2007 को किया गया था ।

"निफ्टेम" परिसर का निर्माण

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने "निफ्टेम" परिसर के

लाइब्रेरी, कफेटेरिया एवं पाइलेट प्लांटस

निर्माण स्थल पर सचिव, खा.प्र.उ.मं.

lab for supporting the authority's functions. In the area of quality control and standard setting, NIFTEM, in collaboration with FSSAI, shall develop sampling procedures, risk analysis modules etc which shall provide scientific inputs for the specification of maximum residue limits (MRL) needed to be prescribed for pesticides, contaminants, etc. Scientific methodology for testing MRLs, adulterants, etc. shall be developed by the institute.

Food processing sector in India is still in a nascent stage and deserves better attention from the government in enhancing the capacity in this sector in coming years. NIFTEM will be an initiative in that direction giving boost to this sector by means of technological and scientific interventions and by enhancing capacity through its traditional and non-traditional educational and research programs relating to food sciences and allied disciplines. Based on the intensive interaction with food industry professionals, a clear need was felt to produce leaders/managers in this emerging sector as there is clear shortfall in the number of food science and food technology professionals. Taking cognizance of incremental need for managers and early career professionals, new focus on food science and technology research in public system, need for professionals for regulatory management, outreach etc, NIFTEM will try to fill the demand supply gap.

NIFTEM will be the first national research centre in food science and food technology that will provide experiential learning with strong industry linkages.

It is estimated that NIFTEM will produce approximately 1000 students and entrepreneurs, incubate about 250 businesses, undertake 300 research projects, 550 short term courses and 450 projects related to food standards setting and testing and will have about 12000 annual subscriptions for its journals by 2015. In addition, industry will benefit through Continuing Education initiatives, access to patents that are generated within NIFTEM, and market intelligence provided by NIFTEM. The institute will be generating over 100 patents cumulatively over next five years benefiting small and medium scale food industry and food processing clusters in rural India.

PROJECT IMPLEMENTATION STATUS

Incorporation

The institute was incorporated as a 'not for profit' Company under Section 25 of the Companies Act, 1956 on 07.08.2007.

Land

100 acres of land at a cost of Rs. 31.37 crore has been acquired from Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd (HSIIDC) at Kundli, Distt. Sonepat, Haryana. The possession of land was taken on 10.08.2007. The site was selected due to excellent location on National Highway-1, close to the proposed Western Peripheral Express Way, location between Asia's largest Fruits & Vegetable Mandi at Azadpur and the proposed Mega Food Park at Rai.

Foundation Stone

The foundation stone of NIFTEM campus was laid on 07.10.2007.

Construction of NIFTEM Campus

The Ministry of Food Processing Industries

Administrative, Seminar and Academic Blocks

Administrative Block

डिजाइन, अभिन्यास और निर्माण का कार्य भारत सरकार के एक उद्यम राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड को सौंपा है । "निफ्टेम" और राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के बीच एक समझौता ज्ञापन पर 31.10.2007 को हस्ताक्षर किए गए । भारत सरकार के उपक्रम मैसर्स राइट्स (आर.आई.टी.ई.एस.) लि. को बतौर "तृतीय पक्ष निरीक्षक अभिकरण" के रूप में शामिल किया गया है जिसके द्वारा निफ्टेम परिसर के निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, व्यय लेखा का प्रमाणीकरण, उच्च मूल्य वाली सामग्रियों का सत्यापन तथा कार्य की गुणवत्ता जाँचने के लिए राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (रा.भ.नि.नि.) द्वारा की गई व्यवस्था का सत्यापन आदि कार्य किया जाना है । इसके लिए उसके साथ दिनांक 15.01.2008 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए ।

जानकारी बांटने वाला भागीदार

"निफ्टेम" ने कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड लाइफ साईंसेज, कार्नेल यूनिवर्सिटी (सीएएलएस), जो कि कृषि और खाद्य अनुसंधान तथा शिक्षा में विश्व में अग्रणी है के साथ कार्नेल शतगुरू विकास संस्थापन, हैदराबाद के माध्यम से 08.01.2008 को सुविधाओं के डिजाइन, पाठ्यक्रम सामग्री, संकाय प्रशिक्षण और इंटर्नशिप, अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए सुव्यवस्थित संरचना तैयार करने, बौद्धिक सम्पदा का विकास और प्रौद्योगिकी अंतरण नीति तथा प्रौद्योगिकी अंतरण और उद्यम विकास के लिए चरणबद्ध योजना, सतत शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण केन्द्र बनाने तथा खाद्य उद्यम देखरेख केन्द्र की रूपरेखा के लिए जानकारी बांटने की भागीदारी के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए ।

कार्यालय आवास का किराए पर लेना

"निफ्टेम" ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के नजदीक एसोसिएशन ऑफ म्यूनिस्पिलटीज़ एण्ड डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ (एएमडीए) भवन, 7/6, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अग्रस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली–110049 के परिसर में तीसरी मंजिल स्थित किराए पर लिए गए परिसर से अपनी गतिविधि संपन्न कर रहा है ।

परियोजना की समीक्षा

संस्थान हेतु अनुमोदित जनादेश कि भारत और विदेशों के उद्यमों तथा अन्य संस्थानों के साथ सहयोजित तरीके से कार्य करने वाला, उत्कृष्टता का एक अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र का लक्ष्य हासिल करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सचिव, द्वारा सितम्बर–अक्तूबर 2007 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न विश्वविद्यालयों के भ्रमण के बाद विस्तृत परियोजना रपट तथा संस्थान हेतु व्यवहारिक आवश्यकताओं की समीक्षा का निश्चय किया ताकि सब कुछ सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय पद्धितियों के अनुसार सुनिश्चित हो सके । मंत्रालय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के वास्तुकारों द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका का भ्रमण किया जाना चाहिए तथा वहां अपनाए गए वास्तुशास्त्रीय पद्धितियों और प्रदान की गई सुविधाओं का अध्ययन करना चाहिए ।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के निर्णय के अनुक्रम में वास्तुविद संस्थान रा.भ.नि.नि., परियोजना प्रबंधन अभिकरण तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के प्रतिनिधियों के एक दल ने दिसंबर 2007 में कॉर्नेल विश्वविद्यालय तथा यू.सी. डेविस का दौरा किया । उस दल द्वारा संग्रहित तथा कॉर्नेल वि.वि. द्वारा प्रदत्त सूचनाओं के आधार पर निफ्टेम की संकल्पना और डिजाइन वास्तुकार द्वारा तैयार की गई और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा संस्तुत की गई जिसके आधार पर राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा सिविल निर्माण हेतु ब्लॉक लागत का आकलन किया गया । राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा सिविल निर्माण हेतु ब्लॉक लागत आकलन सुपुर्द किए जाने के बाद जानकारी आदान–प्रदान में निफ्टेम के भागीदार कॉर्नेल सतगुरू फाउन्डेशन द्वारा विस्तृत परियोजना रपट (डी.पी.आर.) तथा निफ्टेम की कार्य संबंधी जरूरतों की समीक्षा की गई और निफ्टेम की संशोधित रूपरेखा प्रस्तुत की गई जिसमें संस्थान के लिए उन सभी आवश्यक सुविधाओं के निर्माण को समाविष्ट किया गया था जिससे कि संस्थान परिकल्पित जनादेश के अनुरूप खाद्य विज्ञान और खाद्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान एवं ज्ञान के सृजन में अग्रगण्य हो सके । खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय परियोजना लागत बढ़ाने को सोच रही है तथा विहित प्रक्रिया के अनुसार कैबिनेट को परियोजना लागत में संशोधन हेतु प्रस्ताव भेज रही है ।

प्रतिनिधि दल का इथाका–भ्रमण

सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के नेतृत्व में निफ्टेम, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम मैं, स्तूप कंसल्टेंट्स प्रा. लि. तथा कॉर्नेल सतगुरू फाउन्डेशन के प्रतिनिधियों का एक दल द्वारा फरवरी 2009 में एग्रीकल्चर एण्ड लाइफ साइंसेज, कॉर्नेल वि.वि., इथाका का भ्रमण किया गया ताकि वे कॉर्नेल वि.वि. में वर्तमान सुविधाओं से अवगत हो सकें तथा निफ्टेम को सर्वोत्तम सुविधासंपन्न विश्वस्तरीय संस्थान बनाने के लिए उसमें स्थापित किए जाने वाले आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का अनुमान ले सके । भ्रमण के दौरान राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम तथा स्तूप कंसल्टेंटस के प्रतिनिधियों को तकनीकी विवरणों के निरीक्षण का सीधा अवसर प्राप्त हुआ जिससे कि वे संस्थान में निर्मित किए

assigned the work of design, architecture and construction of NIFTEM campus to National Buildings Construction Corporation Limited (NBCC), a Government of India Enterprise. A Memorandum of Understanding (MOU) was signed between NIFTEM and NBCC on 31.10.2007. M/s RITES Ltd, a Government of India Enterprise, has been engaged as a Third Party Inspecting Agency for the project to ensure quality of construction of NIFTEM campus, certification of statement of expenditure, verification of high value items and verification of the system put in place by NBCC for checking quality of the work, etc. An Agreement was signed with them in this regard on 15.01.2008.

Knowledge Sharing Partner

NIFTEM has signed an agreement with College of Agriculture and Life Sciences at Cornell University (CALS), a global leader in agriculture and food research and education, through Cornell Sathguru Foundation for Development, Hyderabad on 08.01.2008 for knowledge sharing partnership for design of facilities, course curricula, faculty training and internship, developing a strategic framework for nurturing research, development of intellectual property, technology transfer policy and strategic plan for technology transfer and enterprise development, setting up a training centre for continuing education and design of food enterprise incubator.

Hiring of Office Accommodation

NIFTEM continued to function from its rented premises at 3rd Floor, Association of Municipalities and Development Authorities (AMDA) Building, 7/6, Sirifort Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi – 110049, close to Ministry of Food Processing Industries.

Review of the Project

In order to accomplish the approved mandate of the institute to be an international centre of excellence, which will work synergistically with industry and other institutions within India and abroad, the Ministry of Food Processing Industries, after the visit of Secretary, MFPI, to various Universities in USA in September-October 2007, decided to review the Detailed Project Report and functional requirements of the Institute with a view to ensuring that they are in line with the best international practices. The Ministry also directed that the Architect of NBCC should visit USA and understand the architectural practices adopted and facilities provided by such institutions.

In pursuance of the decision of MFPI, a team consisting of representatives of Architect firm, NBCC, the Project Management Agency and MFPI visited Cornell University and U.C. Davis in December 2007. Based on the inputs gathered by the team and those provided by Cornell University, the concept and design of NIFTEM Campus was prepared by the Architect and approved by MFPI on the basis of which Block Cost estimates for civil construction work were prepared by NBCC. After submission of Block Cost Estimates of civil construction by NBCC, Cornell Sathguru Foundation for Development, the knowledge sharing partner of NIFTEM reviewed the DPR and the functional requirements of NIFTEM and submitted a revised structure of NIFTEM incorporating all essential facilities to be created for the institute to excel in research and knowledge generation in the area of food science and food technology commensurate with the envisaged mandate. Ministry of Food Processing industries is contemplating enhancement in the Project Cost and approaching Cabinet for revision of the project estimates as per prescribed procedure.

Visit of Delegation to Ithaca

A delegation led by Secretary, Ministry of Food Processing Industries consisting of representatives of NIFTEM, NBCC, M/s Stup Consultants Private Ltd and Cornell Sathguru Foundation visited College of Agriculture and Life Sciences, Cornell University, Ithaca in February 2009, to familiarize with existing facilities in the Cornell University and assess the infrastructure to be created in NIFTEM in order to make NIFTEM a world class institute with comparable facilities. In the course of the visit, representatives of NBCC and M/s Stup Consultants Pvt. Ltd. had the first hand opportunity to have an overview of the technical specifications to enable them to prepare an architecture plan of various

जाने वाले विभिन्न सुविधाओं की वास्तु–योजना तैयार कर पाने में सक्षम हो सके । दल के द्वारा खाद्य विज्ञान विभाग, फल एवं सब्जी प्रसंस्करण की नमूना इकाई, डेयरी प्रसंस्करण की नमूना इकाई, अध्यापन प्रयोगशालाओं, मुख्य पुस्तकालय, एलिस स्टेट्लर ऑडोटोरियम, उद्यम एवं श्रमिक संबंध अध्ययन पीठ, कॉर्नेल वि. वि. का होटल अध्ययनपीठ, नवीन जीवन–विज्ञान खंड, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य संजाल, इथाका में कॉर्नेल तकनीकी पार्क, जेनेवा कृषि परीक्षण स्थल आदि का भ्रमण किया गया । दल को खाद्य विज्ञान तथा खाद्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित विशेषज्ञों से विचार–विमर्श का अवसर मिला । इस भ्रमण से दल को वह संपूर्ण अनुभव प्राप्त हुआ जिससे कि निफ्टेम में विचाराधीन विभिन्न गतिविधियों के संदर्भ में कॉर्नेल वि.वि. स्थित विभिन्न सुविधाओं की रूपरेखा के महत्वपूर्ण अवयवों का समावेश किया जा सके ।

कार्यनिष्पादन विशिष्टताएें

संस्थान अभी निर्माण के चरण में है । उद्यमियों, अनुसंधानकर्ताओं, शिक्षाविदों एवं नीति निर्माताओं को उपयोगी, संपोषक और जैविक खाद्य क्षेत्र खगोलीय प्रवृत्तियों के जागरूक करने के लिए, इन क्षेत्रों में उद्योग के विकास की चुनौतियों एवं अवसरों की पहचान के लिए, नवीन युक्तिपूर्ण , उत्पाद विकास की महत्ता धारदार उत्पादन तकनीकों के प्रयोग के प्रति सजगता पैदा करने के लिए, उत्पादों की गुणवत्ता एवं सुरक्षा के मूल्यांकन के मानकों का अध्ययन एवं सृजन तथा इन उत्पादों द्वारा किए गए दावों को अनुशासित करने वाले विनियमों के अध्ययन के लिए भी 21 मई से 23 मई, 2008 तक कोयम्बतूर में कॉर्नेल सतुगरू फाउन्डेशन के सहयोग से एक तीन दिवसीय कार्यशाला "फूड फॉर हेल्थ" का आयोजन किया गया ।

योजना एवं क्रियान्वयन के चरण में ही होने के बावजूद भी निफ्टेम ने खाद्य क्षेत्र में क्षमता निर्माण तथा आई.एफ.टी. (इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजिस्ट) जैसे वैश्विक मंचों पर भारतीय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के प्रतिनिधित्व के संदर्भों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है । निफ्टेम ने राष्ट्रीय उपयोगी खाद्य उद्योग से जुड़े लोगों को एक साथ लाया ताकि संपोषक एवं उपयोगी खाद्यों के भारतीय निर्यात की बढ़ोत्तरी के लिए समेकित राष्ट्रीय रणनीति की रूपरेखा तैयार की जा सके ।

निदेशक मंडल द्वारा रूपरेखा, ढाँचा, अध्ययन पाठ्यक्रम आदि के संबंध में समय–समय पर निफ्टेम के निदेशक मंडल को मशविरा देने के लिए सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय तथा अध्यक्ष, निफ्टेम बोर्ड की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया । इस समिति में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान आयोग, दिल्ली, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली, राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद, राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर, श्रीराम औद्योगिक अनुसंधान संस्थान, दिल्ली, नेस्ले इंडिया लिमिटेड, गुड़गांव, कॉर्नेल सतगुरू फाउन्डेशन, हैदराबाद के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल है । वर्ष 2008–09 में समिति की दो बैठकें संपन्न हुई । दिनांक 23.5.2008 की पहली बैठक में समिति ने डिजाइन संबंधी व्यापक घटकों तथा निफ्टेम हेतु प्रस्तावित शैक्षणिक पहलकदमियों के संदर्भ में अपना बहुमूल्य सुझाव प्रदान किया । दिनांक 16.1.2009 की दूसरी बैठक में समिति ने निफ्टेम की वैधानिक स्थिति तथा मान्यता व प्रमाणन संबंधी शर्तों पर अपनी संस्तुति प्रदान की । विशेषज्ञ समिति की संस्तुतियों के आधार पर, जैसा कि बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया, आगे की कार्रवाई कंपनी के द्वारा की जा रही है ।

कार्यकारी परिणाम

संस्थान की समग्र आय बैंक में फ्लैक्सी खाते और लघु अवधि जमा पर मिलने वाले 1,06,93,429 रुपए के बैंक ब्याज के रूप में हुई है ।

विदेशी मुद्रा आय

वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा की आय कुछ नहीं थी । निदेशको के विदेशी दौरे पर दैनिक भत्ता के भुगतान में 750 यू. एस. डॉलर खर्च हुए ।

मानव संसाधन

वर्ष के दौरान कोई कर्मचारी नहीं था और संस्थान के कार्यों का संचालन पदेन निदेशकों जो कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी हैं द्वारा, मंत्रालय द्वारा तैनात सहायक कर्मचारीबृंद और बाहरी पेशेवरों की सहायता से किया गया । इसलिए रिपोर्ट के अधीन वर्ष के लिए 24 लाख रुपए से अधिक पारिश्रमिक पाने वाले कोई कर्मचारी नहीं थे जिसके लिए कंपनी (कर्मचारी विशिष्टियां) नियम 1975 के साथ पठित धारा 217 (2क) के उपबंधों के अनुसार प्रकटन अपेक्षित है ।

प्रौद्योगिकी समावेशन, अंगीकरण और अभिनव परिवर्तन

कंपनी ने कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड लाईफ साईसेंस एट कार्नेल यूनिवर्सिटी (सीएएलएस) के प्रतिस्थानी कार्नेल शतगुरू विकास संस्थान के साथ 30 महीनों की अवधि के लिए "निफ्टेम" की गतिविधियों को शुरू करने तथा निष्पादित करने और सामरिक योजना बनाने के लिए 08.01.2008 को एक समझौता निष्पादित

facilities to be built in the institute. The team visited Department of Food Science, Fruits and Vegetable Processing Pilot Plant, Dairy Processing Pilot Plant, Teaching Labs, Main Library, Alice Statler Auditorium, School of Industrial and Labour Relations, Hotel School of Cornell University, New Life Science Block, International Food Network, Cornell Technology Park in Ithaca, Geneva Agricultural Experiment Station, etc. The team also had the opportunity to interact with some of the internationally known experts in the field of Food Science and Food Technology. The visit provided a holistic exposure to the team to integrate important components of design of various facilities at Cornell University in the context of various activities contemplated in NIFTEM.

PERFORMANCE HIGHLIGHTS

The Institute is in construction stage. A three days workshop on 'Food for Health' was organized at Coimbatore from 21-23 May. 2008 in association with Cornell Sathguru Foundation to sensitize entrepreneurs, researchers, academics and policy makers on global trends in the functional food, nutraceutical and organic food sector; to identify challenges and opportunities for the growth of industry in these sectors; to create an awareness of the importance of innovative product development and use of cutting edge production technologies; to study and develop standards to evaluate the quality and safety of products; and study regulations that govern the claims made by these products.

NIFTEM, though being in the planning and implementation phase, has contributed significantly in terms of capacity building in the food sector, and representation of Indian food processing sector in global fora like IFT (Institute of Food Technologists). NIFTEM has brought together the national functional food industry participants to chalk out a comprehensive national strategy for enhancing Indian export of nutraceuticals and functional foods.

The Board of Directors constituted an Expert Committee under the Chairmanship of Secretary, Ministry of Food Processing Industries and Chairman, NIFTEM Board to advise the Board of Directors of NIFTEM on design, structure, course curriculum, etc from time to time. The Committee included the representatives of Ministry of Food Processing Industries, Indian Council of Agricultural Research, Delhi, Indian Institute of Technology, Delhi, National Institute of Nutrition, Hyderabad, Indian Institute of Science-Bangalore, Shriram Institute for Industrial Research, Delhi, Nestle India Ltd, Gurgaon and Cornell Sathguru Foundation, Hyderabad as Members. The Committee held two meetings in the year 2008-09. The Committee in its first meeting held on 23.05.2008 provided its valuable inputs for broad design parameters and the academic initiatives proposed for NIFTEM. In their second meeting held on 16.01.09, the Committee gave its recommendations on legal status of NIFTEM and on recognition and accreditation requirements. Based on the recommendations of the Expert Committee as approved by the Board further necessary action is being taken by the Company.

WORKING RESULTS

The gross income of the Institute constitutes only interest including bank interest on flexi account and short term deposits amounting to Rs.1,06,93,429/-

FOREIGN EXCHANGE EARNINGS & EXPENDITURE

There was no foreign exchange earning during the year. An expenditure of US $ 750 was incurred towards payment of Daily Allowance of Directors on foreign tour.

HUMAN RESOURCE

There were no employees during the year and the affairs of the Institute were managed by the *ex officio* Directors who are all senior officers of the Ministry of Food Processing Industries with the supporting staff posted by the Ministry and outsourced professionals and supporting staff. Therefore, during the year under report, there were no employees receiving remuneration of or in excess of Rs.24 lakh, requiring disclosure as per the Provisions of Section 217(2A) read with the Companies (Particulars of Employees) Rules 1975.

TECHNOLOGY ABSORPTION, ADAPTATION AND INNOVATION

The Company has executed an Agreement on 08.01.2008 with Cornell-Sathguru Foundation

किया । वर्ष के दौरान फाउन्डेशन द्वारा निफ्टेम को संगठन की रूपरेखा, सक्षमता ढांचा, और चयन समयतालिका, परियोजना लागत आकलन, पाठ्यक्रम प्रारूप विकास, सतत शिक्षा प्रयासों तथा दूरस्थ शिक्षा जैसी तकनीकी सूचनाओं के साथ–साथ अन्य विभिन्न मुद्दों पर आवश्यकतानुसार सलाह प्रदान किया गया ।

राजभाषा का कार्यान्वयन

इस समय संस्थान में कोई कर्मचारी नहीं है । तथापि संस्थान कार्यालय में भारत सरकार द्वारा राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग के संबंध में निर्दिष्ट लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सभी प्रयास करेगा । कर्मचारियों को दैनिक सरकारी कार्य में अपने हिन्दी के ज्ञान का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा । सभी मानक प्रारूप, फाइलें आदि द्विभाषिक रूप में तैयार की जाएंगी।

निदेशक दायित्व विवरण

आपके निदेशक इस बात की पुष्टि करते हैं कि :

- 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लेखे तैयार करने में सभी लागू लेखा मानकों का अनुसरण किया गया है और उनसे कोई तात्विक परिवर्तन नहीं किया गया है ।
- यह कि निदेशकों ने लेखांकन नीतियों को चयन किया है और उनका प्रयोग किया है और ऐसा निर्णय और आंकलन किए हैं जो युक्तियुक्त और बुद्धिपरक हैं ताकि वर्ष के अंत में उस अवधि के लिए कंपनी के कार्यों की और आय और व्यय की एक सही और उचित तस्वीर प्राप्त हो ।
- कंपनी की आस्तियों के लिए सुरक्षोपाय करने और कपट और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और निवारण करने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसरण में पर्याप्त लेखा अभिलेख बनाए रखने के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी रखी गई है ।
- 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लेखे सतत आधार पर हैं ।

अनुपालन प्रमाण–पत्र

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 383क(1) के परंतुक के अधीन अपेक्षित अनुपालन प्रमाण–पत्र संलग्न हैं ।

सतर्कता

संस्थान का प्रबंधन 5 पदेन निदेशकों जो मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी हैं, के निदेशक बोर्ड द्वारा किया जा रहा है और यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सतर्कता प्रभार के अधिकार क्षेत्र के अधीन आता है । "निफ्टेम" द्वारा अपने कार्मिकों की नियुक्ति कर लेने के बाद सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों के सदृश यहां सतर्कता प्रभाग बना लिया जाएगा ।

लेखापरीक्षक

भारत के महालेखा नियंत्रण और परीक्षक आपकी कंपनी के कानूनी लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करते हैं । मैसर्स आर. वेंदर गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउटेंट, नई दिल्ली को वित्त वर्ष 2007–08 के लिए कानूनी लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत के महालेखा नियंत्रक और परीक्षक ने प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा और पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड–4, नई दिल्ली को अनुपूरक लेखापरीक्षा का कार्य भी सौंपा था ।

लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कानूनी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट बिना किसी शर्त के थी । भारत के महालेखा नियंत्रक और परीक्षक की कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अधीन 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कंपनी के लेखों पर टिप्पणियां और उन पर कंपनी का प्रत्युत्तर वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है और स्वयं स्पष्टीकारक है ।

आभार

निदेशक, भारत सरकार से, विशेषकर खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय से प्राप्त सहयोग पर गहन आभार प्रकट करते हैं । निदेशक, भारत के महालेखा नियंत्रक और परीक्षक, लेखापरीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य, कानूनी लेखापरीक्षकों और संस्थान के बैंकरों के मूल्यवान सहयोग के लिए भी आभारी हैं ।

कृते और निमित्त निदेशक बोर्ड

	ह0 /	ह0 /
स्थान : नई दिल्ली	सुधीर कुमार	अजीत कुमार
तारीख : 23.09.2009	निदेशक	निदेशक

for Development, counter-part of College of Agriculture and Life Sciences at Cornell University (CALS), for strategic planning, execution and commencement of NIFTEM activities over an initial period of thirty months. During the year the Foundation provided technical inputs to NIFTEM such as Organization Design, Competency frame work and recruitment calendar, Project cost Estimates, Curriculum Design Development, Continuing Education Efforts and Distance Learning besides technical advice on various other matters as and when required.

IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE

At present there are no employees in the Institute. The Institute shall, however, make all efforts to fulfil the targets prescribed by Government of India in the Official Languages Act, 1963 and Rules framed thereunder with regard to use of Hindi Rajbhasha in office. Employees will be motivated to use their working knowledge of Hindi in day-to-day official work. All the Standard Forms, Files, etc. shall be prepared bilingually.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

Your Directors confirm

- That in the preparation of accounts for the year ended on March 31, 2009, the applicable Accounting Standards had been followed and there are no material departures.
- That the directors had selected accounting policies and applied them and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the year end and income and expenditure of the Company for the year.
- That proper and sufficient care has been taken for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 1956 for safeguarding the assets of the Company and preventing and detecting fraud and other irregularities.
- That the accounts for the year ended on March 31, 2009 are on a going concern basis.

COMPLIANCE CERTIFICATE

The Secretarial Compliance Certificate as required under proviso to Section 383A (1) of the Companies Act, 1956 is attached.

VIGILANCE

The Institute is being managed by the Board of Directors consisting of five *ex officio* Directors who are senior Officers of the Ministry and come under the purview of Vigilance Division of the Ministry of Food Processing Industries. As and when NIFTEM appoints its own personnel, a Vigilance Division on the lines of Government aided Institutions shall be put in place.

AUDITORS

The Comptroller & Auditor General of India appoints the Statutory Auditors of your company. M/s R Vender Gupta & Associates, Chartered Accountants, New Delhi was appointed as Statutory Auditors for the financial year 2008-09. The CAG had also assigned Supplementary Audit to the Principal Director of Commercial Audit and *ex officio* Member of the Audit Board-IV, New Delhi.

AUDITORS' REMARKS

The report of the Statutory Auditors was without any qualification. The remarks of the CAG u/s 619(4) of the Companies Act, 1956 on the accounts of the company for the year ended 31st March 2009 and the company's reply thereto are appended to the Annual Report and are self-explanatory.

ACKNOWLEDGEMENTS

The Directors acknowledge with deep sense of appreciation the co-operation received from the Government of India, particularly the Ministry of Food Processing Industries. The Directors are also grateful to the Comptroller and Auditor General of India, the Principal Director of Commercial Audit, Statutory Auditors and the Bankers of the Institute for their valued cooperation.

for and on behalf of the Board of Directors

New Delhi
Dated: 29.09.2009

Sd/-	Sd/-
Sudhir Kumar	Ajit Kumar
Director	Director

एम.वी. श्रीनिवास
कंपनी सचिव
"वैकुंठम", सी–3/48, जनकपुरी,
नई दिल्ली–110 058
टेलीफोन : 41576506/3293 0678
ई–मेल : sree29@gmail.com

सचिवीय अनुपालना प्रमाण–पत्र

रजिस्ट्रेशन सं0 55–166 745

प्राधिकृत पूंजी : 160 करोड़ रुपए
संदत्त पूंजी : 31 करोड़ रुपए

सेवा में,

सदस्य
राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान,
खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय,
ए.एम.डी.ए. भवन, खेल गाँव मार्ग,
नई दिल्ली–110049

मैंने राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान के कंपनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम) तथा उसके तदधीन बनाए गए नियमों और कंपनी के संगम ज्ञापन में अंतर्विष्ट उपबंधों द्वारा भी यथाअपेक्षित 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए रजिस्टरों, अभिलेखों, बहियों और कागजातों की जांच कर ली है । मेरी राय में और मरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा मेरे द्वारा की गई जांच के अनुसार और कंपनी, उसके अधिकारियों/अभिकर्ताओं द्वारा मुझे प्रस्तुत स्पष्टीकरणों के आधार पर मैं प्रमाणित करता हूं कि पूर्वोक्त वित्तीय वर्ष के लिए :

1. इस प्रमाणपत्र के लिए उपाबंध "क" में कथित सभी रजिस्टरों को अधिनियम और उसके तदधीन बनाने गए नियमों के उपबंधों के अनुसार कंपनी द्वारा रखा गया है तथा उनमें सभी प्रविष्टियों को सम्यकतः अभिलिखित किया गया है ।

2. इस प्रमाण–पत्र के लिए उपाबंध "ख" में कथित सभी प्रारूपों और विवरणियों को अधिनियम के अधीन तथा उसके तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन कंपनी रजिस्ट्रार के पास दाखिल किया गया है ।

3. कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होने के नाते कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अधीन निगमित कंपनी है जिसका संवर्धन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया है के पास न्यूनतम संदत्त पूंजी है और कथित वित्तीय वर्ष के दौरान भारत के राष्ट्रपति और सरकार के 4 नाम निर्देशितों को मिलाकर उसके अधिकतम सदस्य 5 रहे : और

   - उसने शेयरों और डिबेंचरों में अंशदान के लिए जनता को आमंत्रित नहीं किया है; और
   - उसने जनता से कोई निक्षेप आमंत्रित या स्वीकार नहीं किया है ।

4. निदेशक बोर्ड ने क्रमशः 09.06.2008, 12.09.2008, 23.12.2008 और 30.03.2009 को सम्यकतः 4 बार बैठकें की जिनके संबंध में समुचित सूचना दी गई और कार्यवाहियों को समुचित रूप से इस निमित्त रखी गई कार्यवृत्त पुस्तिका में अभिलिखित और हस्ताक्षरित किया गया ।

5. वित्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अपने सदस्यों के रजिस्टर को बंद करना अपेक्षित नहीं था ।

6. 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक साधारण बैठक 12 सितम्बर, 2008 को संपन्न हुई जिसके

M.V. SREENIVAS
COMPANY SECRETARY
"Vaikuntam",C-3/48,Janak Puri,
New Delhi-110 058
Tel: 41576506/3293 0678
E-mail sree29@gmail.com

SECRETARIAL COMPLIANCE CERTIFICATE

Registration No. 55 –166 745

Nominal Capital:Rs 160 Crores
Paid up Capital: Rs 31 Crores

To

The Members
National Institute of Food Technology Entrepreneurship & Management
Ministry of Food Processing Industries
AMDA building, Khel Goan Marg
New Delhi-110 049

I have examined the registers, records, books and papers of **National Institute of Food Technology Entrepreneurship & Management** as required to be maintained under the Companies Act, 1956 (the Act) and the rules made there under and also the provisions contained in the Memorandum and Articles of Association of the Company for the financial year ended on 31st March 2009. In my opinion and to the best of my information and according to the examinations carried out by me and explanations furnished to me by the company, its officers and agents I certify that in respect of the aforesaid financial year:

1. The Company has kept and maintained all registers as stated in Annexure 'A' to this certificate, as per the provisions of the Act and the rules made thereunder and all entries therein have been duly recorded.

2. The Company has duly filed the forms and returns as stated in Annexure 'B' to this certificate, with the Registrar of Companies under the Act and the rules made there under.

3. The Company, is a Government Section 25 Company promoted by Ministry of Food Processing Industries has the minimum prescribed paid up capital and its maximum number of members during the said financial year was 05 (Five) comprising of the President of India and four Government Nominees and :

   - Has not invited public to subscribe to its shares or debentures; and

   - Has not invited or accepted any deposits from Public.

4. The Board of Directors duly met Four (4) times respectively on, 09-06-2008 / 12-09-2008 / 23-12-2008 and 30-03-2009 in respect of which meetings proper notices were given and the proceedings were properly recorded and signed in the Minutes Book maintained for the purpose.

5. The Company was not required to close its Register of Members during the financial year.

6. The Annual General Meeting for the financial year ending on March 31, 2009 was held on

समुचित सूचना दी गई और कार्यवाहियों को इस निमित्त रखी गई कार्यवृत्त पुस्तिका में अभिलिखित एवं हस्ताक्षरित किया गया ।

7. वित्त वर्ष के दौरान दिनांक 30.03.2009 को समुचित सूचना देकर एक असाधारण सामान्य बैठक की गई जिसके कार्यवृत्त को सम्यक्तः अभिलिखित और हस्ताक्षरित किया गया ।

8. वित्त वर्ष के दौरान कंपनी पर अधिनियम की धारा 295 के उपबंध लागू नहीं थे ।

9. कंपनी अधिनियम की धारा 297 के कार्यक्षेत्र में आने वाली किसी संविदा में प्रविष्ट नहीं हुई है ।

10. कंपनी से अधिनियम की धारा 301 के अधीन बनाए गए रजिस्टर में कोई प्रविष्ट करने की अपेक्षा नहीं थी ।

11. चूंकि अधिनियम की धारा 314 के कार्यक्षेत्र में आने वाला कोई दृष्टांत नहीं था, कंपनी को तदनुसार निदेशक बोर्ड, सदस्यों या केन्द्रीय सरकार से कोई अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं थी ।

12. कंपनी ने वित्त वर्ष के दौरान कोई अनुलिपि प्रमाण–पत्र नहीं जारी किए ।

13. कंपनी ने –

- तीन शेयरों के हस्तांतरण के आवेदन प्राप्त किए तथा कंपनी अधिनियम–1956 के प्रावधानों के अनुसार उसे संपन्न और प्रभावी किया ।
- किसी पृथक बैंक खाते में कोई धनराशि जमा नहीं की चूंकि वित्त वर्ष के दौरान कोई लाभांश नहीं हुआ।
- चूंकि वित्तीय वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया था इसलिए कंपनी के किसी सदस्य को अधिपत्र जारी नहीं किया गया ।
- अधिनियम की धारा 217 की सभी अपेक्षाओं को सम्यकतः पूरा किया ।

14. कंपनी के निदेशक बोर्ड का सम्यक्तः गठन किया गया । अशोक सिन्हा कंपनी के निदेशक नियुक्त हुए तथा श्री पी.आई. सुव्रतन, श्री एस.ए. चहल, और श्री एस.के. लोहानी का कंपनी निदेशक पद से त्यागपत्र स्वीकृत किया गया ।

15. अन्यत्र कथित अनुसार कंपनी धारा 25 के अधीन एक सरकारी कंपनी है और रिपोर्ट के अधीन वर्ष के दौरान किसी प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक की कोई नियुक्ति नहीं की गई ।

16. कंपनी ने वित्त वर्ष के दौरान किसी एकछत्र विक्रय अभिकर्ताओं की कोई नियुक्ति नहीं की है ।

17. कंपनी ने क्षेत्रीय निदेशक से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अधीन अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त की है और इसके अतिरिक्त इसे केन्द्रीय सरकार, कंपनी लॉ बोर्ड, कंपनी रजिस्ट्रार या इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के अधीन विहित ऐसे अन्य प्राधिकारियों से कोई अनुमोदन अभिप्राप्त करना अपेक्षित नहीं है ।

18. निदेशकों ने, अधिनियम और उसके तदधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में अन्य फर्मों/कंपनियों में अपने हित को निदेशक बोर्ड को प्रकट कर दिया है ।

19. कंपनी ने वित्त वर्ष के दौरान कोई शेयर, डिबेंचर या अन्य प्रतिभूति जारी नहीं की हैं ।

20. कंपनी ने वित्त वर्ष के दौरान किन्हीं शेयरों को वापस नहीं खरीदा है ।

21. वित्त वर्ष के दौरान किन्हीं अधिमानी शेयरों या डिबेंचरों (उपरोक्त क्रम संख्या 19 का संदर्भ लें) का उन्मोचन नहीं किया गया है ।

September 12 2008 in respect of which proper notice was given, proceedings were recorded properly and signed in the Minutes Book maintained for the purpose.

7. One Extra-Ordinary General Meeting was held during the financial year on 30.03.2009 after giving proper notice and minutes having duly been recorded and signed.

8. The provisions of section 295 of the Act were not applicable to the Company during the financial year.

9. The Company has not entered into any contracts falling within the purview of Section 297 of the Act.

10. The Company was not required to make any entries in the register maintained under section 301 of the Act.

11. As there were no instances falling within the purview of Section 314 of the Act, the company was not required to seek any approvals from the Board of Directors, members or Central Government, as the case may be.

12. The Company has not issued any duplicate certificates during the financial year.

13. The Company

   - Has received three requests for share transfer and the same have been duly acceded to in terms of provisions of Companies Act, 1956.
   - Has not deposited any amount in a separate Bank Account as no dividend was declared during the financial year.
   - Has not posted warrants to any members of the Company as no dividend was declared during the financial year.
   - Duly complied with the requirements of section 217 of the Act.

14. The Board of Directors of the company is duly constituted. Mr. Ashok Sinha was appointed Director of the Company and resignations of Mr. P I Suvrathan, Mr. S S Chahal and Mr. S K Lohani, as Directors of Company was accepted.

15. The Company is a Section 25 Government Company as stated elsewhere and there was no appointment of Managing Director/ whole time Director or Manager during the year under report.

16. The Company has not appointed any sole selling agents during the financial year.

17. The Company obtained a License under Section 25 of the Companies Act, 1956 from the Regional Director and besides that it was not required to obtain any approvals of the Central Government, Company Law Board, Registrar of Companies or such other authorities as prescribed under the various provisions of the Act.

18. The Directors have disclosed their interest in other firms/companies to the Board of Directors pursuant to the provisions of the Act and the rules made there under.

19. The Company has not issued any shares, debentures or other securities during the financial year.

20. The Company has not bought back any shares during the financial year.

21. There was no redemption of preference shares or debentures during the financial year(ref Sl. No.19 above)

22. ऐसा कोई संव्यवहार नहीं किया गया जिससे कंपनी को लाभांशों, राइट शेयरों और बोनस शेयरों को शेयरों के अंतरण के रजिस्टरीकरण के लंबित रहने के कारण आस्थगन में रखना आवश्यक हुआ हो ।

23. कंपनी ने वित्त वर्ष के दौरान धारा 58क के कार्यक्षेत्र में आने वाले किन्हीं निक्षेपों जिसमें अप्रत्याभूत ऋण भी सम्मिलित हैं को आमंत्रित/स्वीकृत नहीं किया है ।

24. कंपनी एक प्राइवेट कंपनी होने के नाते अधिनियम की धारा 293 (1) (घ) के उपबंधों को आकृष्ट नहीं करती है।

25. कंपनी ने अन्य निगमित निकायों को कोई ऋण या अग्रिम या जमानत या प्रत्याभूति नहीं दी है और इसलिए इस प्रयोजन के लिए रखे गए रजिस्टर में कोई प्रविष्टि नहीं की गई है ।

26. कंपनी ने कंपनी के रजिस्टरीकृत कार्यालय ए.एम.डी.ए. भवन, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली के संबंध में ज्ञापन के उपबंधों में परिवर्तन किया है ।

27. कंपनी ने कंपनी के उद्देश्यों के संबंध में ज्ञापन के उपबंधों में संवीक्षाधीन वर्ष में कोई परिवर्तन नहीं किया है ।

28. कंपनी ने कंपनी के नाम के संबंध में ज्ञापन के उपबंधों में संवीक्षाधीन वर्ष में कोई परिवर्तन नहीं किया है ।

29. कंपनी ने कंपनी की शेयर पूंजी के संबंध में ज्ञापन के उपबंधों में संवीक्षाधीन वर्ष में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

30. बोर्ड की संस्थापना हेतु समयावधि के संबंध में कंपनी के "संस्था के अंतर्नियम" का अंतर्नियम 23बी में प्रभावी परिवर्तन किया गया जिसके द्वारा समयावधि बढ़ाई गई ।

31. वित्त वर्ष के दौरान अधिनियम के अधीन अपराधों के लिए कंपनी के विरूद्ध कोई अभियोजन नहीं शुरू किया गया या कंपनी को कोई कारण बताओ नोटिस नहीं प्राप्त हुआ ।

32. कंपनी ने वित्त वर्ष के दौरान अपने कर्मचारियों से प्रतिभूति के रूप में कोई धन अभिप्राप्त नहीं किया ।

33. रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के उपबंध कंपनी पर लागू नहीं हुए ।

ह0/
सी एस एम वी श्रीनिवास
एफसीएस–2342
सी पी सं0 2771

दिनांक : 27.07.2009
नई दिल्ली

22. There were no transactions necessitating the Company to keep in abeyance the rights to dividends, rights shares and bonus shares pending registration of transfer of shares.

23. The Company has not invited / accepted any deposits including any unsecured loans falling within the purview of Section 58A during the financial year.

24. Company being a private Company does not attract provisions of section 293(1)(d) of the Act.

25. The Company has not made any loans or advances or given guarantees or provided securities to the other bodies corporate and consequently no entries have been made in the register kept for the purpose.

26. The Company altered the provisions of the memorandum with respect to situation of the company's registered office to AMDA Building, Khel Goan Marg, New Delhi.

27. The Company has not altered the provisions of the memorandum with respect to the objects of the company during the year under scrutiny.

28. The Company has not altered the provisions of the memorandum with respect to the name of the Company during the year under scrutiny

29. The Company has not altered the provisions of the memorandum with respect to the share capital of the company during the year under scrutiny.

30. Article 23 b of the Articles of Association of the Company in regard to time period for constituting the Board was altered effectively providing for increase in the time period.

31. There was / were no prosecution initiated against or show cause notices received by the company, during the financial year, for offences under the Act.

32. The Company has not received any money as security from its employees during the financial year.

33. The Provisions of Employees Provident Fund Act and Employees State Insurance Act were not applicable to the Company during the year under report.

Sd/-
C S M V Sreenivas
FCS-2342
C.P.No.2771

Date : 27-07-2009
New Delhi

उपाबंध – क

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम)

सं0	रजिस्टरों का विवरण	लागू धारा/उपबंध	प्रास्थिति	क्या समय पर प्रविष्टि की गई है या नहीं
1.	कंपनी के स्वयं के नाम से भिन्न नामों में से निवेशों का रजिस्टर	[धारा 49(7)]	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	वापस ली गई प्रतिभूतियों का रजिस्टर	[धारा 77क(9)]	लागू नहीं	लागू नहीं
3.	कंपनी द्वारा सृजित प्रभारों के विलेख की प्रतियां	[धारा 136]	अपेक्षित नहीं	लागू नहीं
4.	प्रभारों का रजिस्टर	[धारा 143]	रखे गए	लागू नहीं
5.	सदस्यों का रजिस्टर और सदस्यों का इन्डेक्स	[धारा 150] [धारा 151]	रखे गए रखे गए	हां हां
6.	डिबेंचर धारकों का रजिस्टर और इन्डेक्स	[धारा 152]	लागू नहीं	लागू नहीं
7.	सदस्यों और डिबेंचर धारकों का विदेशी रजिस्टर	[धारा 157]	अपेक्षित नहीं	लागू नहीं
8.	उपरोक्त बिन्दु 6 पर कथित रजिस्टर की प्रतिलिपि	[धारा 158(4)]	अपेक्षित नहीं	लागू नहीं
9.	वार्षिक प्राप्तियों की प्रतियों के साथ प्रमाणपत्रों और संलग्नित दस्तावेजों की प्रतियां	[धारा 163]	रखे गए	हां
10.	साधारण बैठक की कार्यवाहियों की कार्यवृत्त पुस्तिका	[धारा 193]	रखे गए	हां
11.	निदेशकों की बैठकों की कार्यवाहियों की कार्यवृत्त पुस्तिका	[धारा 193]	रखे गए	हां
12.	लेखा बहियों जिनमें शाखा कार्यालयों के लेखे भी हैं और अन्य लागत अभिलेख यदि कोई हों	[धारा 209]	रखे गए	हां
13.	संविदाओं इत्यादि के रजिस्टर जिनमें निदेशक हितबद्ध हों	[धारा 301]	रखे गए	लागू नहीं
14.	निदेशकों, प्रबंध निदेशक, प्रबंधक और सचिव का रजिस्टर	[धारा 303]	रखे गए	हां
15.	निदेशकों द्वारा धारित शेयर का रजिस्टर	[धारा 307]	रखे गए	हां
16.	निवेशों या ऋणों, दी गई जमानत या प्रदत्त प्रतिभूति का रजिस्टर	[धारा 372क]	रखे गए	लागू नहीं
17.	कर्मचारियों के निक्षेपों और भविष्य निधि रकमों से संबंधित बैंक की रसीदें	[धारा 417, 418 एवं 419]	लागू नहीं	लागू नहीं
18.	यथाअपेक्षित निक्षेपों का रजिस्टर	कंपनी (निक्षेपों को स्वीकार करना) नियम, 1975 का नियम 7	अपेक्षित नहीं	लागू नहीं
19.	नवीकृत और अनुलिपि प्रमाणपत्रों का रजिस्टर	कंपनी (शेयर प्रमाणपत्र जारी करना) नियम, 1960 का नियम 7	रखे गए	लागू नहीं
20.	नष्ट किए गए दस्तावेजों का रजिस्टर	कंपनी (अभिलेखों का संरक्षण और निपटान) नियम, 1966 का नियम 4	अपेक्षित नहीं	लागू नहीं

ANNEXURE – A

NATIONAL INSTITUTE OF FOOD TECHNOLOGY ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT (NIFTEM)

No.	Particulars of Registers	Applicable section/provision	Status	Whether entry made in time or not
1.	Register of investments held in names other than the company's own name	[section 49(7)].	Not Applicable	NA
2.	Register of securities bought back	[section 77A(9)]	Not Applicable	NA
3.	Copies of instrument of charges created by the company	[section 136]	Not required	NA
4.	Register of charges	[section 143]	Maintained	NA
5.	Register of members and index of members	[section 150] [section 151]	Maintained Maintained	Yes Yes
6.	Register and index of debenture holders	[section 152]	NA	NA
7.	Foreign register of members and of debenture holders	[section 157]	Not required	NA
8.	Duplicate of register stated in the point 6 above	[section 158(4)]	Not required	NA
9.	Copies of annual returns together with copies of certificates and documents annexed thereto	[section 163]	Maintained	Yes
10.	Books of minutes of proceedings of general meeting	[section 193]	Maintained	Yes
11.	Books of minutes of proceedings of directors' meeting	[section 193]	Maintained	Yes
12.	Books of account including account of branch offices and other cost records, if any	[section 209]	Maintained	Yes
13.	Register of contracts etc. in which directors are interested	[section 301]	Maintained	NA
14.	Register of directors, managing director, manager and secretary	[section 303]	Maintained	Yes
15.	Register of directors' shareholding	[section 307]	Maintained	Yes
16.	Register of investments or loans, guarantee given or security provided	[section 372A]	Maintained	N.A.
17.	Bank receipts relating to employees' deposits and provident fund amounts	[section 417,418 and 419]	NA	N.A.
18.	Register of deposits as required	Rules 7 of the companies (Acceptance of Deposits) Rules, 1975.	Not required	NA
19.	Register of renewed and duplicate certificates	Rule 7 of the Companies (Issue of Share Certificates) Rules, 1960	Maintained	NA
20.	Register of documents destroyed	Rule 4 of the Companies (Preservation and Disposal of Records) Rules, 1966.	Not required	NA

उपाबंध–ख

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम)

क्रम सं0	दस्तावेजों के ब्यौरे	धारा जिसके अधीन दर्ज किया गया	विवरणी संख्या और प्रस्तुत करने की तारीख	क्या विहित समय के भीतर प्रस्तुत की गई	अतिरिक्त फीस के ब्यौरे, यदि कोई हों
1.	प्रारूप 66	रजिस्ट्रार को सुपुर्द अनुपालन प्रमाणपत्र	एसआरएन पी22286090 दि. 28.09.08	हाँ	शून्य
2.	प्रारूप 20 बी	वार्षिक विवरण दाखिला	एसआरएन पी22294268 दि.30.09.2008	हाँ	शून्य
3.	प्रारूप 23 ए.सी.ए. व 23 ए.सी.	पी. एण्ड एल. खाता दाखिला का विवरण तथा तुलन–पत्र	एसआरएन पी22458558 दि. 11.10.2008	हाँ	शून्य
4.	प्रारूप 23	संस्था के अंतर्नियम के अंतर्नियम 23बी में परिवर्तन के प्रस्ताव का पंजीकरण	एसआरएन 46730032 दि. 11.10.2008	हाँ	शून्य
5.	प्रारूप 32	श्री अशोक सिन्हा की निदेशक के रूप में नियुक्ति	एसआरएन ए54882410 दि. 27.01.2009	हाँ	शून्य
6.	प्रारूप 18	पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन हेतु प्रारूप	एसआरएन ए54880505	हाँ	शून्य
7.	प्रारूप 32	आई. सुव्रतन तथा एस. एस. चहल का निदेशक पद से त्याग पत्र	एसआरएन ए56386063 दि. 18.02.2009	हाँ	शून्य
8.	प्रारूप 32	श्री एस.के. लोहानी का निदेशक पद से त्यागपत्र	एसआरएन ए56387012 दि. 18.02.2009	हाँ	शून्य
9.	प्रारूप 24 ए	संस्था के अंतर्नियम में परिवर्तन हेतु आर.डी. का अनुमोदन	एसआरएन ए57157463 दि. 02.03.2009	हाँ	शून्य

उन दस्तावेजों के ब्यौरे जो अभी भरे जाने हैं

क्रम सं0	दस्तावेजों के ब्यौरे	धारा जिसके अधीन भरा जाना है	कारोबार के ब्यौरे	भरे नहीं जाने के कारण
	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

ह0/–
सी एस एम वी श्रीनिवास
एफसीएस–2342
सी पी सं0 2771

29.07.2009
नई दिल्ली

ANNEXURE – B

NATIONAL INSTITUTE OF FOOD TECHNOLOGY ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT (NIFTEM)

Sl. No.	Details of documents	Filed under section	Rt. No. and Date of filing	Whether filed within prescribed time	Details of additional fee paid, if any.
1.	Form 66	Submission of compliance certificate with Registrar	SRN P22286090 Dt:28.09.08	Yes	Nil
2.	Form 20B	Filing of Annual Return	SRN P22294268 Dt.30.09.2008	Yes	Nil
3.	Form 23 ACA & 23 AC	Return of filing P&L A/c and Balance Sheet	SRN P22458558 Dt 11.10.2008	Yes	Nil
4.	Form 23	Registration of resolution for alteration in Article 23 b of the Articles of Association.	SRN 46730032 Dt. 11.10.2008	Yes	Nil
5.	Form 32	Appointment of Mr. Ashok Sinha as Director	SRN A54882410 Dt. 27.01.2009	Yes	Nil
6.	Form 18	Form for Change in the registerd Office	SRN A54880505 Dt. 27.01.2009	Yes	Nil
7.	Form 32	Resignation of Mr. I Suvrathan and Mr. S S Chahal as Director's	SRN A56386063 Dt. 18.02.2009	Yes	Nil
8.	Form 32	Resignation of Mr. S K Lohani as Director	SRN A56387012 Dt. 18.02.2009	Yes	Nil
9.	Form 24 A	Approval of RD for amendment of Articles of Association.	SRN A 57157463 Dt. 02.03.2009	Yes	Nil

Particulars of documents yet to be filed

Sl. No.	Details of documents	To be filed under section	Particulars of business	Reasons for non filing
	Nil	Nil	Nil	Nil

Sd/-
C S M V Sreenivas
FCS-2342
C.P.No.2771

29.07.2009
New Delhi

आर. वेंदर गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
मुख्यालय – 206, हेमकुंट हाउस,
6, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली – 110008
दूरभाष : 25715282, टेलीफैक्स : 25814160
ई–मेल : rvguptaassociates@yahoo.co.in

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सदस्यगण,

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान

1. हमने 31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार निर्माण के दौरान उपगत अनुषंगिक व्ययों के विवरण तथा समान तिथि को समाप्त वर्ष में कंपनी का नगद–प्रवाह विवरण के साथ राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान के उपाबंध तुलनपत्र की लेखापरीक्षा कर ली है । कोई आय और व्यय लेखा तैयार नहीं किया है क्योंकि कंपनी इस अवधि के दौरान अभी अपने निर्माण के चरण पर है । इन वित्तीय कथनों की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन पर है । हमारी जिम्मेदारी, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय कथनों पर अपनी राय व्यक्त करने तक है ।

2. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है । इन मानकों की यह अपेक्षा है कि हम अपनी लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन इस प्रकार करें की क्या वित्तीय कथन किसी तात्विक मिथ्या कथन से मुक्त हैं या नहीं । किसी लेखापरीक्षा में परीक्षण के आधार पर उन साक्ष्यों की जांच करना है जिनके आधार पर रकमों का वित्तीय कथनों में प्रकटन किया गया है । किसी लेखापरीक्षा में लेखांकन सिद्धांतों का पता लगाना और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आक्कलनों की जांच के साथ–साथ प्रस्तुत संपूर्ण वित्तीय कथनों का मूल्यांकन करना भी शामिल होता है । हमारा विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए युक्तियुक्त आधार प्रदान करती है ।

3. कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन एक रजिस्ट्रीकृत कंपनी है, अतः केन्द्रीय सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उपधारा (4क) के अंतर्गत जारी कंपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट आदेश, 2003 इस कंपनी पर लागू नहीं होता है ।

4. हम रिपोर्ट करते हैं कि :

   (i) हमने वह सभी सूचना और स्पष्टीकरण अभिप्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हैं;

   (ii) जहां तक इन बहियों की जांच से हमें प्रतीत होता है हमारी राय में विधि द्वारा यथापेक्षित समुचित बहियां कंपनी द्वारा रखी गई हैं;

   (iii) इस रिपोर्ट द्वारा व्यवहृत किया गया तुलनपत्र, निर्माण के दौरान अनुषंगिक व्यय का विवरण तथा नगद प्रवाह लेखा लेखाबहियों के अनुसार है;

   (iv) हमारी राय में तुलनपत्र, अनुषंगिक व्यय का विवरण तथा नगद प्रवाह लेखा जो इस रिपोर्ट द्वारा व्यवह्रत किया गया है कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उपधारा (3ग) में निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करता है;

R. Vender Gupta & Associates
Chartered Accountants
Head Office: 206, Hemkunt House,
6, Rajendra Place, New Delhi - 110008
Tel: 25715282, Telefax: 25814160
Email : rvguptaassociates@yahoo.co.in

AUDITORS' REPORT

The Members,

National Institute of Food Technology Entrepreneurship & Management

1. We have audited the attached Balance Sheet of "National Institute of Food Technology Entrepreneurship & Management" as at 31st March, 2009 along with Statement of Incidental Expenditure Incurred during Construction and Cash Flow Statement of the company for the year ended on that date annexed thereto. No Income & Expenditure Account has been prepared since the company is under construction stage during the year. These financial statements are the responsibility of the company's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. We conducted our audit in accordance with the auditing standards generally accepted in India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

3. Company is registered under section 25 of the Companies Act, 1956, thus Companies Auditor Report order 2003, issued by the Central Government of India in term of sub section (4A) of section 227 of the Companies Act 1956 is not applicable to this Company.

4. We report that:

   (i) We have obtained all the information and explanations, which to best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

   (ii) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the company so far as appears from our examination of those books;

   (iii) The Balance Sheet, statement of Incidental Expenditure Incurred during Construction and Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with books of account;

   (iv) In our opinion, the Balance Sheet, Statement of Incidental Expenditure Incurred during Construction and Cash Flow Statement dealt with by this report comply with the Accounting Standards referred to in sub-section (3C) of the section 211 of the Companies Act, 1956, to the extent applicable.

(v) सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 की उपधारा (1) का खंड (छ) कंपनी कार्य विभाग द्वारा जारी 21.10.2003 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 829 (अ) के अनुसार लागू नहीं होता है;

(vi) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, दिए गए टिप्पणों के साथ पठित उक्त लेखे कंपनी अधिनियम, 1956 की अपेक्षा अनुसार सूचना यथापेक्षित रूप में प्रदान करते हैं और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों की अनुपालन करते हुए सही और न्यायोचित तस्वीर प्रस्तुत करते हैं :

(क) तुलनपत्र के संदर्भ में, 31 मार्च, 2008 तक कंपनी के प्रकरणों की

(ख) निर्माण के दौरान उपगत अनुषंगिक व्ययों के संदर्भ में, समान तिथि को समाप्त वर्ष में भारित व्ययों की तथा

(ग) नगद प्रवाह विवरण के संदर्भ में 31.3.2009 को समाप्त वर्ष हेतु नगद प्रवाह की

आर. वेंदर गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

ह0/–
राघवेन्दर गुप्ता
एफ.सी.ए. (भागीदार)
सं0 081544

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 30.06.2009

(v) Being the Government Company, clause (g) of sub-section (1) of section 274 of the Companies Act, 1956 is not applicable as per the notification No. GSR 829 (E) dated 31-10-2003 issued by Department of Company Affairs, Ministry of Finance, Government of India.

(vi) In our opinion and to the best of our information and according to explanations given to us, the said accounts read together with the notes thereon, give the information required by the Companies Act, 1956, in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

a) In the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the company as at 31st March, 2009;

b) In the case of the statement of Incidental Expenditure Incurred during Construction, of the expenses incurred for the year ended on that date, and

c) In the case of Cash Flow Statement, of the cash flow for the year ended 31.03.09

for R. Vender Gupta & Associates
Chartered Accountants

Sd/-
Raghvender Gupta
FCA Partner
M No.081544

Place: New Delhi
Date: 30.06.2009

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम)

तुलन–पत्र

31 मार्च, 2009 तक का तुलन–पत्र

राशि (रु. में)

विवरणियां	अनुसूची	31.03.2009 तक	31.03.2008 तक
निधियों के स्रोत			
शेयरधारियों की निधियां			
(क) शेयरपूंजी	1	310000000.00	310000000.00
(ख) शेयर अनुप्रयुक्त धन		576956990.00	176956990.00
योग		**886956990.00**	**486956990.00**
निधियों का अनुप्रयोजन			
अचल परिसंपत्तियां	2		
समग्र ब्लॉक		335668866.00	313965550.00
घटा : मूल्यह्रास		1034783.00	34608.00
निवल ब्लॉक		**334634083.00**	**313930942.00**
चालू पूंजीगत कार्य	3	**575725658.00**	**5861258.00**
निर्माण के दौरान अनुषंगिक व्यय (लंबित अनुभाजन)	4	**-3233679.47**	**7907933.03**
चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम	5		
नगद एवं बैंक में शेष		6289339.97	107837965.97
ऋण और अग्रिम		1904184.00	45484680.00
		8193523.97	153322645.97
घटा :			
चालू देयताऐं एवं प्रावधान	6	38123815.50	113377.00
निबल चालू परिसंपत्तियां		**-29930291.53**	**153209268.97**
मिश्रित व्यय (खारिज या समायोजित किए जाने की सीमा से ज्यादा)	7	**9761220.00**	**6047588.00**
योग		**886956990.00**	**486956990.00**
लेखे का अंशस्वरूप महत्वपूर्ण लेखा नीतियां एवं टिप्पणियां	9		

समान तिथि के हमारे रिपोर्ट के अनुसार

कृते आर. वेंदर गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखापाल

कृते और निमित्त बोर्ड

ह0/–
राघवेंदर गुप्ता
(भागीदार)
स.सं. 081544

ह0/–
(सुधीर कुमार)
निदेशक

ह0/–
(अजीत कुमार)
निदेशक

ह0/–
(अशोक सिन्हा)
अध्यक्ष

दिनांक : 30.06.2009
स्थान : नई दिल्ली

NATIONAL INSTITUTE OF FOOD TECHNOLOGY ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT (NIFTEM)

BALANCE SHEET

AS AT 31ST MARCH, 2009

Amount (In Rs.)

PARTICULARS	Schedule	As at 31.03.2009	As at 31.03.2008
SOURCES OF FUNDS			
Shareholders' Funds:			
a) Share Capital	1	310000000.00	310000000.00
b) Share Application Money		576956990.00	176956990.00
Total		**886956990.00**	**486956990.00**
APPLICATION OF FUNDS			
Fixed assets:	2		
Gross Block		335668866.00	313965550.00
Less: Depreciation		1034783.00	34608.00
Net Block		**334634083.00**	**313930942.00**
Capital Work in Progress	3	**575725658.00**	**5861258.00**
Incidental Expenditure Incurred during Construction (Pending Apportionment)	4	**-3233679.47**	**7907933.03**
Current Assets, Loans & Advances:	5		
Cash and Bank Balances		6289339.97	107837965.97
Loans and Advances		1904184.00	45484680.00
		8193523.97	153322645.97
Less :			
Current Liabilities & Provisions:	6	38123815.50	113377.00
Net Current assets		**-29930291.53**	**153209268.97**
Miscellaneous Expenditure (To the extent not written off or adjusted)	7	**9761220.00**	**6047588.00**
Total		**886956990.00**	**486956990.00**
Significant Accounting Policies & Notes Forming Part of Accounts	9		

As per our report of even date

for R Vender Gupta & Associates
Chartered Accountants

for and on behalf of the Board

Sd/-
Raghvender Gupta
(Partner)
M. No. 081544

Sd/-
(Sudhir Kumar)
Director

Sd/-
(Ajit Kumar)
Director

Sd/-
(Ashok Sinha)
Chairman

Date : 30.06.2009
Place : New Delhi

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम)

31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए निर्माण (लंबित अनुभाजन) के दौरान अनुषंगिक व्ययों का लेखा

राशि (रु. में)

विवरण	अनुसूची	31.03.2009 तक	31.03.2008 तक
व्यय			
अनुषंगिक व्यय	8	6527062.50	9053996.03
मूल्यह्रास		1000175.00	34608.00
		7527237.50	9088604.03
आय			
राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम में सचलीकरण अग्रिम पर आय		3358783	705471.00
बैंक से प्राप्त ब्याज		7334646	475200.00
		10693429.00	1180671.00
तुलन पत्र में हस्तांतरित निबल अनुषंगिक आय/व्यय		**-3166191.50**	**7907933.03**
लेखा के अंशरूपी महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ एवं टिप्पणियाँ	9		

समान तिथि के हमारे रिपोर्ट के अनुसार

कृते आर. वेंदर गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखापाल

कृते और निमित्त बोर्ड

ह0/–
राघवेंदर गुप्ता
(भागीदार)
स.सं. 081544

ह0/–
(सुधीर कुमार)
निदेशक

ह0/–
(अजीत कुमार)
निदेशक

ह0/–
(अशोक सिन्हा)
अध्यक्ष

दिनांक : 30.06.2009
स्थान : नई दिल्ली

NATIONAL INSTITUTE OF FOOD TECHNOLOGY ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT (NIFTEM)

Statement of Incidental Expenditure incurred during construction (Pending apportionment) during the period ended on 31st March 2009

Amount (In Rs.)

PARTICULARS	Schedule	As at 31.03.2009	As at 31.03.2008
EXPENSES			
Incidental Expenses	8	6527062.50	9053996.03
Depreciation		1000175.00	34608.00
		7527237.50	9088604.03
INCOME			
Income on Mobilisation Advance with NBCC		3358783	705471.00
Interest from Bank		7334646	475200.00
		10693429.00	1180671.00
Net Incidental Expenses Transferred to Balance Sheet		**-3166191.50**	**7907933.03**
Significant Accounting Policies & Notes Forming Part of Accounts	9		

As per our report of even date

for R Vender Gupta & Associates
Chartered Accountants

for and on behalf of the Board

Sd/-
Raghvender Gupta
(Partner)
M. No. 081544

Sd/-
(Sudhir Kumar)
Director

Sd/-
(Ajit Kumar)
Director

Sd/-
(Ashok Sinha)
Chairman

Date : 30.06.2009
Place : New Delhi

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम)

31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष हेतु नगद–प्रवाह लेखा

विवरण	31 मार्च, 2009 तक रु. पै.	31 मार्च, 2008 तक रु. पै.
प्रचालन गतिविधियों से नगद प्रवाह		
निर्माण के दौरान निबल आय/व्यय (–)	3166191.50	-7907933.03
समायोजन		
मूल्यह्रास	1000175.00	34608.00
कार्यकारी पूँजी परिवर्तन के पूर्व प्रचलित नगद प्रवाह	4166366.50	-7873325.03
ऋण एवं अग्रिम (चालू परिसंपत्तियाँ) में बढ़ोत्तरी (–)/कमी	43580496.00	-45484680.00
प्रकीर्ण ऋणदाताओं में कमी (–)/बढ़ोत्तरी	16342933.00	0.00
भुगतान योग्य व्यय में कमी (–)/बढ़ोत्तरी	21667505.50	103377.00
अन्य देयताओं में बढ़ोत्तरी	0.00	10000.00
कार्यान्वयन से सृजित नगद	85757301.00	-53244628.03
प्रदत्त आयकर (सीमांत लाभ कर सहित)	0.00	0.00
कार्यान्वयन गतिविधि से प्राप्त नगद (क)	85757301.00	-53244628.03
निवेश संबंधी गतिविधि से नगद प्रवाह		
अचल परिसंपत्तियों का क्रय	-21703316.00	-313965550.00
चालू पूँजीगत कार्य में निवेश	-561888979.00	-5861258.00
मिश्रित व्यय में निवेश	-3713632.00	-6047588.00
निवेश संबंधी गतिविधियों में प्रयुक्त निबल नगद (ख)	-587305927.00	-325874396.00
वित्तीय गतिविधियों से नगद प्रवाह		
इक्विटी शेयर का निर्गम	0.00	310000000.00
लंबित आवंटन की दशा में प्राप्त शेयर आवेदन धन	400000000.00	176956990.00
वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निबल नगद (ग)	400000000.00	486956990.00
वर्ष के दौरान नगद और नगद–सम में निबल बढ़ोत्तरी (क+ख+ग)	-101548626.00	107837965.97
वर्ष के आरंभ में नगद और नगद–सम	107837965.97	0.00
वर्ष के अंत में नगद और नगद–सम	6289339.97	107837965.97

नगद प्रवाह लेखा पर टिप्पणी

नगद और नगद–सम के अंतर्गत हाथ में नगद और बैंक में शेष आता है नगद प्रवाह लेखा में उल्लिखित नगद एवं नगद–सम के अंतर्गत निम्नलिखित तुलन–पत्र राशियाँ सम्मिलित हैं :–

विवरण	31 मार्च, 2009 तक रु. पै.	31 मार्च, 2008 तक रु. पै.
हाथ में नगद	950.00	8884.00
अधिसूचित बैंक में शेष		
- चालू खाता में*	6288389.97	7549697.97
- स्थाई जमा	0.00	100000000.00
- एफ.डी.आर. में उद्भूत ब्याज	0.00	279384.00
* ऑटो स्वीप सुविधा युक्त		
	6289339.97	**107837965.97**

संबद्ध टिप्पणियाँ नगद प्रवाह लेखा के अंतर्भूत अंश के रूप में है ।

समान तिथि के हमारे रिपोर्ट के अनुसार

कृते आर. वेंदर गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखापाल

कृते और निमित्त बोर्ड

ह0/–
राघवेंदर गुप्ता
(भागीदार)
स.सं. 081544

ह0/–
(सुधीर कुमार)
निदेशक

ह0/–
(अजीत कुमार)
निदेशक

ह0/–
(अशोक सिन्हा)
अध्यक्ष

दिनांक : 30.06.2009
स्थान : नई दिल्ली

NATIONAL INSTITUTE OF FOOD TECHNOLOGY ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT (NIFTEM)

Cash Flow Statement for the year ended on 31st March 2009

Pariticulars	As at 31st March 09 Rs. Ps.	As at 31st March 08 Rs. Ps.
Cash Flows from Operating Activities		
Net Income/Expenditure(-) during Construction	3166191.50	-7907933.03
Adjustments		
Depreciation	1000175.00	34608.00
Operating Cash Flows before Working Capital changes	4166366.50	-7873325.03
Increase(-)/Decrease in Loans and Advances(Current Assets)	43580496.00	-45484680.00
Decrease(-)/Increase in Sundry Creditors	16342933.00	0.00
Decrease(-)/Increase in Expenses Payable	21667505.50	103377.00
Increase in Other Liabilities	0.00	10000.00
Cash Generated from Operations	85757301.00	-53244628.03
Income-tax paid (including fringe benefit tax)	0.00	0.00
Cash Provided by Operating Activities (A)	85757301.00	-53244628.03
Cash Flow from Investing Activities		
Purchase of Fixed Assets	-21703316.00	-313965550.00
Investment in Capital Works in Progress	-561888979.00	-5861258.00
Investment in Misc Expenditure	-3713632.00	-6047588.00
Net Cash used in Invesing Activities(B)	-587305927.00	-325874396.00
Cash Flow from Financing Activities		
Issue of Equity Shares	0.00	310000000.00
Share Application Money Received Pending Allotment	400000000.00	176956990.00
Net Cash used in Financing Activities(C)	400000000.00	486956990.00
Net increase in cash and cash equivalents during the year(A+B+C)	-101548626.00	107837965.97
Cash and cash equivalents at the beginning of the year	107837965.97	0.00
Cash and cash equivalents at the end of the year	6289339.97	107837965.97

Notes to the cash Flow Statement

Cash and cash equivalents consist of cash on hand and balance with bank
Cash and cash equivalents included in the flow statement
comprise of the folllowing Balance sheet amounts.

Pariticulars	As at 31st March 09 Rs. Ps.	As at 31st March 08 Rs. Ps.
Cash in Hand	950.00	8884.00
Balance with Scheduled Bank		
- In Current account*	6288389.97	7549697.97
- Fixed Deposits	0.00	100000000.00
- Interest Accured on FDR	0.00	279384.00
* with Autosweep facility		
	6289339.97	**107837965.97**

The accompanying notes form an integral part of this Cash Flow Statement

As per attached report of even date

for R Vender Gupta & Associates
Chartered Accountants

for and on behalf of the Board

Sd/-
Raghvender Gupta
(Partner)
M. No. 081544

Sd/-
(Sudhir Kumar)
Director

Sd/-
(Ajit Kumar)
Director

Sd/-
(Ashok Sinha)
Chairman

Date : 30.06.2009
Place : New Delhi

अनुसूची–2

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम)

अचल परिसंपत्तियां

राशि (रु. में)

क्रम सं.	विवरण	01.04.08 तक समग्र ब्लॉक	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान निपटान	31.03.2009 तक समग्र ब्लॉक	मूल्यह्रास		विलोपन		निबल ब्लॉक	
						31.03.2008 तक	वर्ष 31.03.2009 के लिए	31.03.2008 तक	31.03.2009 तक	31.03.2009	31.03.2008
1	भूमि	313626489.00	15681324.00	0.00	329307813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329307813.00	313626489.00
2	कम्प्यूटर और कम्प्यूटर उपसाधन	244748.00	742871.00	0.00	987619.00	27500.00	312290.00	0.00	0.00	647829.00	217248.00
3	तिजोरी	4600.00	0.00	0.00	4600.00	4600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	अमूर्त परिसंपत्तियां कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	29800.00	123540.00	0.00	153340.00	2508.00	58538.00	0.00	0.00	92294.00	27292.00
5	बोरवैल	19950.00	0.00	0.00	19950.00	0.00	998.00	0.00	0.00	18952.00	19950.00
6	विद्युत स्थापन	39963.00	0.00	0.00	39963.00	0.00	5559.00	0.00	0.00	34404.00	39963.00
7	कार्यालयी उपकरण	0.00	2425359.00	0.00	2425359.00	0.00	259947.00	0.00	0.00	2165412.00	0.00
8	फर्नीचर एवं जुड़नार	0.00	2730222.00	0.00	2730222.00	0.00	362843.00	0.00	0.00	2367379.00	0.00
		313965550.00	21703316.00	0.00	335668866.00	34608.00	1000175.00	0.00	0.00	334634083.00	313930942.00
	गत वर्ष	0.00	313965550.00	0.00	313965550.00	0.00	34608.00	0.00	0.00	339312524.00	0.00

ह0/–
कृते आर. वेंदर गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखापाल

ह0/–
(सुधीर कुमार)
निदेशक

ह0/–
(अजीत कुमार)
निदेशक

ह0/–
(अशोक सिन्हा)
अध्यक्ष

अनुसूची–2

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम)

अचल परिसंपत्तियां

राशि (रु. में)

क्रम सं.	विवरण	01.04.08 तक समग्र ब्लॉक	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान निपटान	31.03.2009 तक समग्र ब्लॉक	मूल्यह्रास		विलोपन		निबल ब्लॉक	
						31.03.2008 तक	वर्ष 31.03.2009 के लिए	31.03.2008 तक	31.03.2009 तक	31.03.2009	31.03.2008
1	भूमि	313626489.00	15681324.00	0.00	329307813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329307813.00	313626489.00
2	कम्प्यूटर और कम्प्यूटर उपसाधन	244748.00	742871.00	0.00	987619.00	27500.00	312290.00	0.00	0.00	647829.00	217248.00
3	तिजोरी	4600.00	0.00	0.00	4600.00	4600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	अमूर्त परिसंपत्तियां कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	29800.00	123540.00	0.00	153340.00	2508.00	58538.00	0.00	0.00	92294.00	27292.00
5	बोरवैल	19950.00	0.00	0.00	19950.00	0.00	998.00	0.00	0.00	18952.00	19950.00
6	विद्युत स्थापन	39963.00	0.00	0.00	39963.00	0.00	5559.00	0.00	0.00	34404.00	39963.00
7	कार्यालयी उपकरण	0.00	2425359.00	0.00	2425359.00	0.00	259947.00	0.00	0.00	2165412.00	0.00
8	फर्नीचर एवं जुड़नार	0.00	2730222.00	0.00	2730222.00	0.00	362843.00	0.00	0.00	2367379.00	0.00
		313965550.00	21703316.00	0.00	335668866.00	34608.00	1000175.00	0.00	0.00	334634083.00	313930942.00
	गत वर्ष	0.00	313965550.00	0.00	313965550.00	0.00	34608.00	0.00	0.00	339312524.00	0.00

ह0/–
कृते आर. वेंदर गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखापाल

ह0/–
(सुधीर कुमार)
निदेशक

ह0/–
(अजीत कुमार)
निदेशक

ह0/–
(अशोक सिन्हा)
अध्यक्ष

SCHEDULE: 2

NATIONAL INSTITUTE OF FOOD TECHNOLOGY ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT (NIFTEM)

FIXED ASSETS

Amount (In Rs.)

Sr. No.	PARTICULARS	Gross Block As on 01.04.08	Additions During the Year	Disposals During the Year	Gross Block As on 31.03.2009	Depreciation		Deletion		Net Block as on	
						Up to 31.03.2008	For the Year 31.03.2009	upto 31.03.2008	Up to 31.03.2009	31.03.2009	31.03.2008
1	Land	313626489.00	15681324.00	0.00	329307813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329307813.00	313626489.00
2	Computer & Computer Accessories	244748.00	742871.00	0.00	987619.00	27500.00	312290.00	0.00	0.00	647829.00	217248.00
3	Safe	4600.00	0.00	0.00	4600.00	4600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Intangible Assets-Computer Software	29800.00	123540.00	0.00	153340.00	2508.00	58538.00	0.00	0.00	92294.00	27292.00
5	Borewell	19950.00	0.00	0.00	19950.00	0.00	998.00	0.00	0.00	18952.00	19950.00
6	Electrical Installations	39963.00	0.00	0.00	39963.00	0.00	5559.00	0.00	0.00	34404.00	39963.00
7	Office Equipment	0.00	2425359.00	0.00	2425359.00	0.00	259947.00	0.00	0.00	2165412.00	0.00
8	Furniture & Fixtures	0.00	2730222.00	0.00	2730222.00	0.00	362843.00	0.00	0.00	2367379.00	0.00
		313965550.00	21703316.00	0.00	335668866.00	34608.00	1000175.00	0.00	0.00	334634083.00	313930942.00
	Previous Year	0.00	313965550.00	0.00	313965550.00	0.00	34608.00	0.00	0.00	339312524.00	0.00

Sd/-
for R Vender Gupta & Associates
Chartered Accountants

Sd/-
(Sudhir Kumar)
Director

Sd/-
(Ajit Kumar)
Director

Sd/-
(Ashok Sinha)
Chairman

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम)

तुलन–पत्र की अंशरूपी अनुसूचियां

राशि (रु. में)

विवरण	अनुसूची		31.03.2009 तक	31.03.2008 तक
"शेयर पूंजी"	1			
प्राधिकृत पूंजी				
10/- रु. प्रत्येक के				
16,00,00,000 इक्विटी शेयर				
(गत वर्ष 16,00,00,000 इक्विटी शेयर)			1600000000.00	1600000000.00
जारी, अंशदान और प्रदत्त पूँजी				
10/- रु. प्रत्येक के 3,10,00,000 इक्विटी शेयर			310000000.00	310000000.00
प्रत्येक पूर्णतः प्रदत्त				
(गत वर्ष 3,10,00,000 इक्विटी शेयर)			**310000000.00**	**310000000.00**
"चालू पूँजीगत कार्य"	3			
शिलान्यास पट्टिका			786172.00	786172.00
चहारदीवारी			9812539.00	3717358.00
भवन प्रोर्टा केबिन			1189666.00	1189666.00
एच.वी.ए.सी., प्रथम चरण			14152425.00	0.00
मुख्य निर्माण कार्य			477209426.00	168062.00
निरीक्षण शुल्क–तृतीय पक्ष			8479006.00	0.00
रा.भ.नि.नि. को अभिकरण प्रभार			47860966.00	0.00
तकनीकी जानकारी शुल्क			16235458.00	0.00
			575725658.00	**5861258.00**
"निर्माण के दौरान परिस्थितिजन्य व्यय"	4			
आरंभिक शेष (01.04.2008 तक)			7907933.03	0.00
घटा				
1) चालू पूँजीगत कार्य में हस्तांतरित रा.भ.नि.नि. अभि. प्रभार		482133.00		
2) चालू पूँजीगत कार्य में हस्तांतरित तकनीकी जानकारी प्रभार		7493288.00	7975421.00	0.00
			-67487.97	0.00
जोड़				
निर्माण (लंबित अनुभाजन) के दौरान परिस्थितिजन्य व्यय लेखा से स्थानांतरित			-3166191.50	7907933.03
			-3233679.47	**7907933.03**
"चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम"	5			
चालू परिसंपत्तियाँ				
नगद एवं बैंक शेष				
हाथ में नगद			950.00	8884.00
अधिसूचित बैंक में शेष				
- चालू खाता में*			6288389.97	7549697.97
- स्थाई जमा			0.00	100000000.00
- एफ.डी.आर. पर ब्याज			0.00	279384.00
* ऑटो स्पी सुविधायुक्त			**6289339.97**	**107837965.97**
"ऋण और अग्रिम"				
(प्रतिभूतिरहित लेकिन अच्छा)				
अचल पूँजी व्यय हेतु अग्रिम				
रा.भ.नि.नि. में सचलीकरण अग्रिम का शेष			0.00	44764512.00

NATIONAL INSTITUTE OF FOOD TECHNOLOGY ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT (NIFTEM)

Schedules forming part of Balance Sheet

Amount (In Rs.)

Particulars	Schedule		As at 31.03.2009	As at 31.03.2008
"SHARE CAPITAL"	1			
AUTHORISED CAPITAL				
16,00,00,000 Equity Shares (Previous year 16,00,00,000 Equity Shares) of Rs. 10/- each			1600000000.00	1600000000.00
ISSUED, SUBSCRIBED & PAID UP CAPITAL				
3,10,00,000 Equity Shares (Previous year 3,10,00,000 Equity Shares) of Rs. 10/-, each fully paid up.			310000000.00	310000000.00
			310000000.00	**310000000.00**
"CAPITAL WORK IN PROGRESS"	3			
Foundation Stone			786172.00	786172.00
Bondary Wall			9812539.00	3717358.00
Building -Porta Cabin			1189666.00	1189666.00
HVAC PHASE-1			14152425.00	0.00
Main Construction Works			477209426.00	168062.00
Third Party Inspection Fees			8479006.00	0.00
Agency Charges to NBCC			47860966.00	0.00
Technical Know-how Fees			16235458.00	0.00
			575725658.00	**5861258.00**
"INCIDENTAL EXPENDITURE DURING CONSTRUCTION"	4			
Opening Balance (01.04.2008)			7907933.03	0.00
Less				
1) NBCC Agency charges tranferred to Capital Work-in-progress		482133.00		
2) Technical Know-how Fees transferred to Capital Work-in-progress		7493288.00	7975421.00	0.00
			-67487.97	0.00
Add				
Transferred from Statement of Incidental Expenditure incurred during Construction (Pending Apportionment)			-3166191.50	7907933.03
			-3233679.47	**7907933.03**
"CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES"	5			
CURRENT ASSETS				
CASH AND BANK BALANCES				
Cash in Hand			950.00	8884.00
Balance with Scheduled Bank				
- In Current account*			6288389.97	7549697.97
- Fixed Deposits			0.00	100000000.00
- Interest Accured on FDR			0.00	279384.00
* with Autosweep facility			**6289339.97**	**107837965.97**
LOANS AND ADVANCES (Unsecured considered good)				
Advance for Fixed Capital Expenditure:				
Balance in Mobilisation Advance with NBCC			0.00	44764512.00

(........ जारी)

नगद या वस्तु रूप में या प्राप्त होने वाले मूल्य हेतु वसूली योग्य अग्रिम			273448.00	0.00
प्रतिभूति जमा			676697.00	671197.00
वसूली योग्य टी.डी.एस.			954039.00	48971.00
			1904184.00	**45484680.00**
"चालू देयताएं एवं प्रावधान"	**6**			
चालू देयताएं				
प्रकीर्ण ऋणदाता				
रा.भ.नि.नि.		14970204.00		0.00
आर.आई.टी.ई.एस. लि.		1372729.00	16342933.00	0.00
भुगतान योग्य व्यय			2161462.50	96228.00
भुगतान योग्य स्टाम्प शुल्क			15,681,324.00	0.00
भुगतान योग्य टी.डी.एस.			3928096.00	7149.00
प्राप्त प्रतिभूति			10000.00	10000.00
			38123815.50	**113377.00**
"मिश्रित व्यय (खारिज या समायोजित किए जाने की सीमा से ज्यादा)"	**7**			
प्राथमिक व्यय			30501.00	30501.00
उदघाटन व्यय			6847826.00	5482638.00
संवर्धनात्मक गतिविधियाँ			2882893.00	534449.00
			9761220.00	**6047588.00**
"निर्माण के दौरान परिस्थिति जन्य व्यय"	**8**			
किराया			2754499.00	101806.00
छपाई एवं लेखन सामग्री			232922.00	14086.00
बाहरी कार्मिक व्यय			83308.00	0.00
दूरभाष एवं इंटरनेट व्यय			155753.00	0.00
विद्युत एवं जल प्रभार			101508.50	0.00
यात्रा व्यय			879593.00	221998.00
व्यवसायिक एवं कानूनी शुल्क			1332624.00	324186.00
बैठक व्यय			30847.00	0.00
रा.भ.नि.नि. अभिकरण प्रभार			0.00	482133.00
प्रदूषण नियंत्रण व्यय			0.00	35000.00
कार्यालय अनुरक्षण व्यय			87432.00	0.00
तकनीकी जानकारी शुल्क			0.00	7493288.00
सांविधिक लेखा परीक्षक का मेहनताना			72004.00	28090.00
भाड़े कर वाहन प्रभार			492009.00	293103.00
आंतरिक लेखा परीक्षक शुल्क			55150.00	33708.00
आर.ओ.सी. दाखिल करने का शुल्क			7800.00	0.00
निगरानी एवं रक्षा			185119.00	0.00
मिश्रित व्यय			56494.00	26598.03
			6527062.50	**9053996.03**

कृते आर. वेंदर गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखापाल

कृते और निमित्त बोर्ड

ह0/–
राघवेंदर गुप्ता
(भागीदार)
स.सं. 081544

ह0/–
(सुधीर कुमार)
निदेशक

ह0/–
(अजीत कुमार)
निदेशक

ह0/–
(अशोक सिन्हा)
अध्यक्ष

दिनांक : 30.06.2009
स्थान : नई दिल्ली

(........ contd.)

Advances Recoverable in Cash or in Kind or for the Value to be Received			273448.00	0.00
Security Deposit			676697.00	671197.00
TDS Recoverable			954039.00	48971.00
			1904184.00	**45484680.00**
"CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS"	**6**			
CURRENT LIABILITIES				
Sundry Creditors				
NBCC		14970204.00		0.00
RITES LTD		1372729.00	16342933.00	0.00
Expenses Payable			2161462.50	96228.00
Stamp Duty Payable			15,681,324.00	0.00
TDS Payable			3928096.00	7149.00
Security Received			10000.00	10000.00
			38123815.50	**113377.00**
"MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted)"	**7**			
Preliminary Expenses			30501.00	30501.00
Inaugural Expenses			6847826.00	5482638.00
Promotional Activities			2882893.00	534449.00
			9761220.00	**6047588.00**
"INCIDENTAL EXPENDITURE DURING CONSTRUCTION"	**8**			
Rent			2754499.00	101806.00
Printing & Stationery			232922.00	14086.00
Outsourced Employee Expenses			83308.00	0.00
Telephone & internet Expenses			155753.00	0.00
Electricity & Water charges			101508.50	0.00
Travelling Expenses			879593.00	221998.00
Professional & Legal Fees			1332624.00	324186.00
Meeting Expenses			30847.00	0.00
NBCC's Agency Charges			0.00	482133.00
Pollution Control Expenses			0.00	35000.00
Office Maintanence Expenses			87432.00	0.00
Technical Know How Fees			0.00	7493288.00
Statutory Auditors' Remuneration			72004.00	28090.00
Vehicle Hiring Charges			492009.00	293103.00
Internal Auditors' Fees			55150.00	33708.00
ROC Filling Fees			7800.00	0.00
Watch & Ward			185119.00	0.00
Miscellanous Expenses			56494.00	26598.03
			6527062.50	**9053996.03**

for R Vender Gupta & Associates
Chartered Accountants

for and on behalf of the Board

Sd/-
Raghvender Gupta
(Partner)
M. No. 081544

Sd/-
(Sudhir Kumar)
Director

Sd/-
(Ajit Kumar)
Director

Sd/-
(Ashok Sinha)
Chairman

Date : 30.06.2009
Place : New Delhi

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम)

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखाओं पर टिप्पणियां

अनुसूची–9

क. महत्वपूर्ण लेखों नीतियां

1. लेखांकन अभिसमय :

वित्तीय विवरणियों को ऐतिहासिक लागत अभिसमय के अधीन, स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुसार जिन्हें इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है और कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अधीन सिवाय अन्यथा कथित के, तैयार किया गया है ।

2. नियत आस्तियां और जारी कार्य

- नियत आस्तियों का उल्लेख संचित अवक्षयण मूल्यह्रास को घटाकर लागत के रूप में किया गया है । अर्जन की लागत में निर्माण/अर्जन के दौरान आबंटित अनुषंगिक व्यय कर, शुल्क, भाड़ा, संस्थापन शामिल हैं ।
- तुलनपत्र की तारीख में बकाया और ऐसी तारीख से पहले इस्तेमाल के लिए तैयार न होने वाली नियत आस्तियों के अर्जन के खर्चों का प्रकटन प्रगति पर पूंजी कार्य रूप में किया गया है ।
- लागत सह संविदा को संविदाकारों से प्राप्त लेखे के विवरण के आधार पर दर्शाया गया है ।
- परियोजना प्रबंधन सलाहकार को चुकाया गया अभिकरण प्रभार तथा तृतीय पक्ष निरीक्षण अभिकरण प्रभार को पूँजीगत व्यय माना गया है और जारी (चालू) पूँजीगत कार्य के तहत प्रदर्शित किया गया है ।
- निर्माण अवधि के दौरान "तकनीकी जानकारी शुल्क" शीर्ष के तहत हुए खर्च को पूँजीगत व्यय माना गया है तथा शीर्ष "जारी (चालू) पूँजीगत कार्य" के तहत प्रदर्शित किया गया है । शैक्षणिक सत्र की शुरूआत होने पर, इस खाते के तहत हुए व्यय का एक भाग सम्बद्ध अचल परिसंपत्तियों पर अनुभाजित कर दिया जाएगा तथा शेष पाँच वर्षो की अवधि के बाद लागत शोधित हो जाएगा ।

3. मूल्यह्रास

अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास, कंपनी अधिनियम, 1956 में परिसंपत्तियों संबंधी अनुसूची–XIV में निर्दिष्ट प्रक्रिया और दरों के अनुसार, न्यूनतम मूल्य पद्धिति के आधार पर किया गया है ।

4. अमूर्त परिसंपत्तियाँ

- तीन वर्षों की अवधि के दरम्यान कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर की लागत क्रमिक रूप से पूर्णतः समाप्त हो जाएगी ।

5. राजस्व पहचान

- आय को उदभूत होने के आधार पर आकलित किया जाता है ।

6. निर्माण अवधि के दौरान व्यय

- निर्माण अवधि के दौरान हुए प्रत्यक्ष पूंजी व्ययों को "प्रगति पर पूंजी कार्य" शीर्ष के अधीन दर्शाया गया है जिसे सुसंगत नियत आस्तियों में, जब वह पूर्ण हो जाएगा, अंतरित कर दिया जाएगा ।
- अप्रत्यक्ष व्यय को "परियोजना से संबंधित निर्माण (लंबित अनुभाजन) के दौरान अनुषंगिक व्यय" शीर्ष के अधीन दर्शाया गया है और परियोजना के पूर्ण होने पर इसका उपयोजन नियत आस्तियों को कर दिया जाएगा।
- परियोजना के पूर्ण होने की तारीख तक पहचानी गई आय को "निर्माण अवधि के दौरान (लंबित अनुभाजन) अनुषंगिक व्यय" शीर्ष के अधीन रखा जाएगा।

7. फुटकर व्यय

- प्रारंभिक व्ययों में कंपनी के पंजीकरण से संबंधित सभी उपगत व्यय शामिल हैं ।
- उदघाटन व्यय में संस्थान के उदघाटन से संबंधित सभी व्यय समाहित है ।
- संवर्धक गतिविधियों के शीर्ष के तहत व्ययों में निर्माण अवधि के दौरान संस्थान के द्वारा सेमिनारों, कार्यशालाओं आदि के माध्यम से संस्थान के उद्देश्यों के प्रचार हेतु किए गए सभी व्यय समाहित है ।

NATIONAL INSTITUTE OF FOOD TECHNOLOGY ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT (NIFTEM)

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES ON ACCOUNTS

SCHEDULE – 9

A. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. Accounting Convention:

The financial statements have been prepared under the historical cost convention in accordance with the accepted accounting standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India and provisions of the Companies Act, 1956 except otherwise stated. The company follows the mercantile system of accounting and recognizes income and expenditure on accrual basis.

2. Fixed assets and Work-in-Progress:

· Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation. Cost of acquisition is inclusive of taxes, duties, freight, installation and allocated incidental expenditure during construction/acquisition.

- Expenses incurred towards the acquisition of fixed assets outstanding as at balance sheet date and not ready for use before such date are disclosed under capital work-in-progress.
- Cost plus contract is accounted for on the basis of running account statements received from the contractors.
- Agency charges paid to Project Management Consultant and Third Party Inspection Agency Charges are recognized as capital expenses and disclosed under Capital Work in Progress.
- Expenditure under the head Technical Knowhow Fees incurred during construction period is recognized as capital expenditure and disclosed under the head Capital Work in Progress. Upon commencement of academic session, a part of the expenditure under this account will be apportioned to relevant fixed assets and the balance will be amortized over a period of five years.

3. Depreciation:

Fixed Assets have been depreciated on Written Down Value Method in accordance with the rates and in the manner prescribed in Schedule XIV to the Companies Act, 1956 on assets put to use.

4. Intangible Assets

The cost of Computer Software will be written off over a period three years.

5. Revenue Recognition:

- Income is recognized on accrual basis.

6. Expenditure during Construction Period:

- The direct capital expenditure incurred during construction period has been shown under the head "Capital Work-in-Progress" which will be transferred to relevant fixed assets as and when completed.
- Indirect expenditure has been shown under the head "Incidental Expenditure during Construction Relating to the Project (Pending Apportionment)" and will be apportioned to the fixed assets upon completion of the project.
- Income recognized up to the date of completion of the project is to be netted off under the head "Incidental Expenses during construction period (pending apportionment)".

7. Miscellaneous Expenditure:

- Preliminary Expenses include all expenses incurred in connection with registration of the company.
- Inaugural Expenses include all expenses incurred in connection with the inauguration of the Institute.
- Expenses under the head Promotional Activities include all expenses undertaken by the Institute during construction period to propagate the objects of the Institute by way of organizing seminars, workshops, etc.

- मिश्रित व्यय (खारित या समायोजित किए जाने की सीमा से ज्यादा) शीर्ष के तहत प्रदर्शित व्यय संस्थान के शैक्षणिक सत्र प्रारंभ जाने के बाद पांच वर्षों की अवधि में लागत–शोधित हो जाएगा ।

ख. लेखों पर टिप्पणियां

1. कंपनी ने अभी तक अपना शैक्षणिक सत्र आरम्भ नहीं किया है और इसलिए कोई आय और व्यय लेखा तैयार नहीं किया गया है । आय और व्यय लेखे के स्थान पर "निर्माण अवधि (उपयोजन के लंबन के दौरान) उपगत अनुषंगिक व्यय" का एक विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची–6 के भाग–2 की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया गया है ।

2. संस्थान के परिसर के निर्माण के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को हरियाणा राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम द्वारा कुंडली (हरियाणा) में 4,04,679.34 वर्गमीटर भूमि आबंटित की गई थी और कंपनी को इसका अधिपत्य सौंप दिया गया था । उक्त हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम के अभिलेखों में कंपनी के पक्ष में भूमि के स्वामित्व के अंतरण के लिए और हस्तांतरण विलेख के लिए विधिक औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं । तथापि, भूमि के पंजीकरण पर भुगतान योग्य स्टाम्प शुल्क हेतु प्रावधानित 1,56,81,324/– रुपये लेखा बही में दर्ज किया गया है और भूमि की लागत में जोड़ दिया गया है ।

3. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने भारत सरकार के एक उपक्रम राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड को "निफ्टेम" परिसर के निर्माण के लिए परियोजना निष्पादक अभिकरण के रूप मे चुना है । कंपनी ने राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और रीटैन्शन और ट्रस्ट खाते के माध्यम से 5 करोड़ रुपए की रकम को अग्रिम के रूप में जारी किया है । राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम ने इस अग्रिम की रकम को ग्राहक पूल खाते में रखा है उसका उपयोग निर्माण कार्य में किया जा रहा है । अग्रिम की प्रतिपूर्ति रा.भ.नि.नि. द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए चालू खाता के खर्चों के समाशोधन द्वारा की जा रही है ।

4. आकस्मिक दायित्व, अप्रदत्त –

   कंपनी के विरूद्ध दावा, जो ऋण नहीं है । रुपया–शून्य (गत वर्ष–शून्य 3.)

   कंपनी के समक्ष कोई आकस्मिक दायित्व नहीं है । (गत वर्ष–शून्य) ।

5. पूँजी खाते से निष्पादित किए जाने के लिए शेष, निविदाओं की अनुमानित राशि और अप्रदत्त, निबल अग्रिम

(राशि रु. में)

	2008-09	2007-08
भवन–निर्माण	19.87	0.77
तकनीकी जानकारी शुल्क	2.30	3.93
	22.17	4.70

6. निम्नलिखित सरकारी कर्मचारी कंपनी कें प्रमुख प्रबंधक कार्मिक हैं जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट बोर्ड के मानदेय सदस्य हैं :

क्रम संख्या	कार्मिक का नाम	कंपनी में पदनाम	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में पदनाम
1.	श्री अशोक सिन्हा	अध्यक्ष	सचिव
2.	श्री अजीत कुमार	निदेशक	संयुक्त सचिव
3.	श्री गौतम सन्याल	निदेशक	संयुक्त सचिव
4.	श्री अवधेश कुमार	निदेशक	निदेशक
5.	श्री सुधीर कुमार	निदेशक	निदेशक

- The expenditure shown under the head Miscellaneous Expenditure (to the extent not written off or adjusted) will be amortized over a period of five years after commencement of the academic session of the Institute.

B. NOTES ON ACCOUNTS

1) The company is under construction stage and has not yet commenced its Academic session, and, therefore, no Income & Expenditure Account has been prepared. In lieu of Income & Expenditure Account, a Statement of "Incidental Expenditure incurred during Construction (Pending Apportionment)" has been prepared in accordance with the requirement of Part II of Schedule VI to the Companies Act, 1956.

2) Land of 4,04,679.34 sq.mtr (100 acres) at Kundli (Haryana) was allotted by Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation (HSIIDC) to Ministry of Food Processing Industries for construction of campus of the Institute and possession of said land is handed over to the company. The legal formalities with regard to transfer of title of land in favour of Company in the records of HSIIDC and registration of conveyance deed are in process. However, provision for stamp duty payable on registration of land of Rs. 1,56,81,324/- has been made in the books of accounts and added to that cost of land.

3) MFPI had selected National Buildings Construction Corporation Ltd (NBCC), Government of India Undertaking, as Project Executing Agency for NIFTEM Complex. An MOU was signed with NBCC and the construction work is in progress. An advance of Rs.9.927 crore was paid to NBCC under the agreement to be utilised through a Retention and Trust Account. NBCC has kept the said advance amount in Clients Pool Account and is utilizing the same for construction purposes. The advance has been recouped by settlement of the Running Account Bills raised by NBCC from time to time. However, as at 31st March 2009, pending receipt of budget allocation from the Ministry, this advance has been set off against the bills of NBCC to be settled and it is proposed to recoup it upon receipt of budget allocations.

4) Contingent Liability, not provided for:-

   Claims against the company not acknowledged as debts. Rs.NIL(Previous Year: Rs. NIL)

   There is no contingent liability against the company. (Previous year: NIL)

5) Estimated amounts of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for, net of advances:-

(Rs. in crores)

	2008-09	2007-08
Building Construction	19.87	0.77
Technical Knowhow fees	2.30	3.93
	22.17	4.70

6) The following Government Officials are the Key management personnel of the company who are honorary members of the Board nominated by the Ministry of Food Processing Industries:

Sr. No.	Name of Personnel	Designation in Company	Designation in MFPI
1.	Ashok Sinha	Chairman	Secretary
2.	Ajit Kumar	Director	Joint Secretary
3.	Goutam Sanyal	Director	Joint Secretary
4.	Awadhesh Kumar	Director	Director
5.	Sudhir Kumar	Director	Director

7. 2008–09 तक निफ्टम को खा.प्र.उ.मं. को प्राप्त बजट अनुदान से 88.70 करोड़ रु. प्राप्त हुआ है । 2007–08 के दौरान प्राप्त 48.70 करोड़ की राशि में से 31 करोड़ रुपये के शेयर आवंटित किए गए हैं तथा शेष राशि को शेयर अनुप्रयोजन खाते मे रखा गया है । 2008–09 के दौरान प्राप्त 40 करोड़ की संपूर्ण राशि भी शेयर अनुप्रयोजन खाते में रखी गई है । क्योंकि आवंटन पत्र में यह इंगित नहीं है कि रकम को किस शीर्ष के तहत रखा जाय । सरकारी स्तर पर इसके लिए पहले ही कदम उठाया जा चुका है कि 160 करोड़ रु. तक का इक्विटी शेयर निर्गत किया जाय और निफ्टेम को अवमुक्त इससे ज्यादा की राशि को अनुदान माना जाय । जैसे ही यह निर्णय अधिकारिक तौर पर प्राप्त हो जाएगा निफ्टेम द्वारा इसका अनुपालन किया जाएगा ।

8. 29,800/– रु. की लागत का कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर पर प्रयोग में लाए गए दिनों की संख्या के अनुसार 40 प्रतिशत की दर से मूल्यह्रास आरोपित किया गया है । तथापि इन परिसंपत्तियों को अमूर्त परिसंपत्तियां मानने का तथा चालू वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के पश्चात उनको लागत–शोधित मानने का निर्णय किया गया है । इसलिए वर्ष 2007–08 के दौरान उक्त परिसंपत्ति के लागत–शोधन में 7,425/– रु. की कमी को वर्ष 2008–09 में सुधार कर लिया गया है ।

9. रा.भ.नि.नि. को 9.5 प्रतिशत की दर से प्रदत्त अभिकरण प्रबंधन प्रभार पूँजीगत परिसंपत्तियों की प्रकृति के है जिन्हें कार्यारंभ होने पर पूँजीगत कर दिए जाने वाले सम्बद्ध अचल परिसंपत्तियों पर आनुपातिक रूप से अनुभाजित किया जाएगा । इस व्यय को निर्माण अवधि के दौरान जारी (चालू) पूँजीगत कार्य के अंशरूप में माने जाने का निर्णय लिया गया है । इसलिए वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान "निर्माण अवधि के दौरान आनुषंगिक व्यय" के तहत दिखाए गए 4,82,133/– रु. का व्यय "जारी पूँजीगत कार्य" में स्थानांतरित कर दिया गया है और 2008–09 में इस शीर्ष के अधीन सभी व्यय को "जारी (चालू) पूँजीगत कार्य" के अधीन अंकित किया गया है ।

10. कॉर्नेल सतगुरू फाउण्डेशन को चुकाया गया तकनीकी जानकारी शुल्क पूँजीगत परिसंपत्ति की प्रकृति का है । निर्माण अवधि के दौरान इस व्यय को "जारी (चालू) पूँजीगत कार्य" के अंश के रूप में माने जाने का निर्णय लिया गया है । इसलिए वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान "निर्माण अवधि के दौरान अनुषंगिक व्यय" के तहत दर्शाए गए 74,93,288/– रु. का व्यय "जारी (चालू) पूँजीगत कार्य" में स्थानांतरित कर दिया गया है तथा 2008–09 में 87,42,170/– रु. के व्यय को "जारी (चालू) पूँजीगत कार्य" के अधीन दर्शाया गया है ।

11. 2007–08 में शीर्ष "अन्य निर्माण कार्य" के तहत प्रदर्शित 1,68,062/– रु. को "मुख्य निर्माण कार्य" में जोड़ दिया गया है ।

12. कंपनी के उद्देश्यों के आधार पर आय कर अधिनियम की धारा 10 (23)(ग) के अधीन छूट प्राप्त है । आय कर के लिए कोई उपबंध नहीं किया गया है । इसलिए कर के लेखांकन का लेखा मानक सं. 22 का प्रावधान लागू नहीं होता है ।

13. कंपनी के वेतन पंजी पर कोई भी स्थाई कार्मिक नहीं है । इसलिए ग्रेच्यूटी एवं भविष्य निधि के प्रावधान लागू नहीं होते हैं ।

14. वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा लघु उद्योग इकाइयों को कोई बकाया देय नहीं है ।

15. लेखापरीक्षकों का पारिश्रामिक :–

	2008-09 (रु.)	2007-08 (रु.)
लेखा परीक्षण शुल्क*	55,150	28,090
जेब से व्यय	16,854	0
	72,004	28,090

*सेवाकर सहित

16. वर्ष के दौरान कोई आमदनी, विदेशी मुद्रा में नहीं किया गया । यात्रा व्यय खाते में 750 यू.एस. डॉलर खर्च हुआ है । (गत वर्ष–शून्य)

17. निदेशक बोर्ड की राय में और उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम उस मूल्य से कम नहीं है जो तुलनपत्र में दर्शाया गया है ।

7) NIFTEM has received a sum of Rs.88.70 crore out of budget allocations to MFPI upto 2008-09. Out of a sum of Rs.48.70 crore received during 2007-08, NIFTEM has allotted shares of Rs.31 crore and kept the balance in Share Application Money, pending a decision of Government on further allotment of shares. The entire amount of Rs.40 crore received during 2008-09 has also been kept in Share Application Money as the sanction letters have not specified the head under which the money has to be kept. Steps have already been initiated at Government level to issue equity shares upto Rs.160 crore and treat the funds released to NIFTEM over and above that as Grant. Once the decision is officially communicated, NIFTEM shall comply with the same.

8) Computer Software valued at Rs.29800/- was depreciated @ 40% last year for the number of days they were put to use. However, it has been decided to treat these assets as intangible assets and amortize them over a period of three years from the current year. Therefore, the shortfall in amortization of the said assets during 2007-08 amounting to Rs.7,425/- has been made good in 2008-09.

9) Agency Management Charges @ 9.5% paid to NBCC are in the nature of capital assets which shall be apportioned proportionately to the relevant fixed assets to be capitalized upon commencement of operation. It has been decided to treat this expenditure as part of Capital Works in Progress during the construction period. Therefore, the expenditure of Rs. 4,82,133/- incurred during financial year 2007-08 shown under "Incidental Expenditure incurred during Construction period" has been transferred to Capital Work in Progress and all expenditure under this head during 2008-09 has been booked to Capital Work in Progress.

10) Technical Knowhow Fees paid to Cornell Sathguru Foundation is in the nature of capital asset. It has been decided to treat this expenditure as part of Capital Works in Progress during the construction period. Therefore, the expenditure of Rs. 74,93,288/- incurred during financial year 2007-08 shown under "Incidental Expenditure incurred during Construction period" has been transferred to Capital Work in Progress and the expenditure of Rs. 87,42,170/- incurred during the year 2008-09 has been booked to Capital Work in Progress.

11) The amount of Rs. 1,68,062/- shown under the head "Other Construction Works" in 2007-08 has been added to "Main Construction Works".

12) No provision for income-tax is required as the income of the company, is exempt u/s 10(23)(C)(iii)(ab) of the Income Tax Act, 1961. Consequently the provision of Accounting Standard No.22 of accounting for taxes is not applicable.

13) There are no regular employees on the pay roles of the company. Therefore, the provisions of gratuity and provident fund are not applicable.

14) The company owes no dues to Small Scale Industrial units at the end of year.

15) Auditors Remuneration:-

	2008-09 (Rs.)	2007-08 (Rs.)
Audit Fees*	55,150	28,090
Out of pocket expenses	16,854	0
	72,004	28,090

*Includes service tax

16) There is no earning in foreign exchange during the year. An expenditure of US$ 750 was incurred on account of travelling expenses. (Previous year: NIL)

17) In the opinion of the Board of Directors and to the best of their knowledge and belief the value of current assets, loans and advances is not less than the value at which they are stated in the balance sheet.

18. अनुसूची 1 से 9 तुलनपत्र का अभिन्न भाग है इसलिए उन्हे अभिप्रमाणित किया गया है ।

19. गत वर्ष (निगमित किए जाने की तिथि 7.8.2007 से 31.3.2008 तक) में 7 माह 25 दिनों के सापेक्ष चालू वित्त वर्ष में 12 माहों की अवधि समाहित है ।

20. पिछले वर्ष के आँकड़े आवश्यकतानुसार पुनःवर्गीकृत, पुनःप्रक्षेपित और पुनःव्यवस्थित किए गए हैं ।

21. कार्मिकों को अग्रिम 61,875/– रु. पुष्टिकरण, समाधान और यदि आवश्यक हो तो परिणामी समायोजन के अधीन है ।

हमारी समसंख्याक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते आर. वेंदर गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

कृते और निमित बोर्ड

ह0/–
सी.ए. राघवेंदर गुप्ता
(भागीदार)
सदस्य सं0 081544

ह0/–
(अशोक सिन्हा)
अध्यक्ष

ह0/–
(सुधीर कुमार)
निदेशक

ह0/–
(अजीत कुमार)
निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 30.06.2009

18) Schedules 1 to 9 form integral part of the balance sheet and have been authenticated.

19) Current financial year (2008-09) consists a period of 12 months as against 7 months and 25 days of the previous year (07.08.2007 date of incorporation to 31.03.2008).

20) Previous year figures have been regrouped, recast and rearranged wherever necessary.

21) Staff advances of Rs.61875/- is subject to confirmation, reconciliation and consequential adjustments thereof, if any.

Signed in terms of our report of even date.

for R Vender Gupta & Associates Chartered Accountants	for and on behalf of the Board		
Sd/- C.A Raghvender Gupta (Partner) M. No. 081544	Sd/- (Sudhir Kumar) Chairman	Sd/- (Ajit Kumar) Director	Sd/- (Ashok Sinha) Director

New Delhi
June 30, 2009

संख्या 779–पीडीसीए/एचएस/एनआईएफटीईएम/ए/सी.एस./2008–09/1521

कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड–4, नई दिल्ली

तारीख : 10.09.2009

सेवा में,

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक,
राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान
नई दिल्ली–110049

विषय : कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान के लेखों पर 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत के महालेखा नियंत्रक और परीक्षक की टिप्पणियां

महोदय,

मैं आपको कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान के लेखों पर 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत के महालेखा नियंत्रक और परीक्षक की टिप्पणियां अग्रेषित कर रहा हूं ।

कृपया इस पत्र की पावती भेजें ।

भवदीय,

ह0/
(आर.एम. जौहरी)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं
पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड–4

No.-779-PDCA/HS/NIFTEM/A/cs/08-09/1521

OFFICE OF PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL AUDIT& EX-OFFICIO MEMBER, AUDIT BOARD-IV, NEW DELHI.

Dated : 10.09.09

To,

The Chairman cum Managing Director,
National Institute of Food Technology
Entrepreneurship and Management,
New Delhi-110049

Sub : Comments of Comptroller and Auditor General of India under Section 619 (4) of the Companies Act, 1956 on the accounts of the National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management for the year ended 31st March 2009

Sir,

I am to forward herewith the Comments of the Comptroller and Auditor General of India under Section 619 (4) of the Companies Act 1956 on the accounts of the National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management, New Delhi for the year ended 31st March 2009.

The receipt of the letter may kindly be acknowledged.

Yours faithfully,

Sd/-
(R.M.Johri)
Pr.Director of Commercial Audit &
Ex-officio Member Audit Board-IV

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम)

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान के लेखों पर 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत के महालेखा नियंत्रक और परीक्षक की टिप्पणियां

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान के 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय कथन कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन विहित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार हैं और उनका दायित्व कंपनी के प्रबंधन का है । कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अधीन भारत के महालेखा नियंत्रक और परीक्षक द्वारा नियुक्त कानूनी लेखापरीक्षक का दायित्व उनके पेशेवर निकाय इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा विहित लेखापरीक्षा और आश्वासन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अधीन इन वित्तीय कथनों पर राय देने का है । ऐसा कहा गया है कि अपनी लेखा परीक्षा रपट दिनांक 30.6.2009 के माध्यम से उनके द्वारा ऐसा किया जा चुका है ।

मैंने 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत के महालेखा नियंत्रक और परीक्षक की ओर से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(ख) के अधीन **राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंध संस्थान** के वित्तीय कथनों में अनुपूरक लेखापरीक्षण किया । यह अनुपूरक लेखापरीक्षा स्वतंत्र रूप में की गई और कानूनी लेखापरीक्षकों के कार्यशील कागज पत्रों तक बिना पहुंच (कार्यशील दस्तावेजों के समीक्षा शून्यता की स्थिति में) के की गई है और मुख्यतः यह कानूनी लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों की पूछताछ तक और कुछ चुनिन्दा लेखा अभिलेखों की जांच तक सीमित थी । मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डालना चाहता हूं जो मेरी जानकारी में आए और जो मेरे विचार से वित्तीय कथनों और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट को बेहतर ढंग से समझने के लिए आवश्यक है ।

लेखा परीक्षक की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
क. तुलनपत्र 1. शेयरधारकों की निधि शेयर पूंजी – 31 करोड़ रुपए शेयर अनुप्रयोजन धन – 57.69 करोड़ रुपए	निफ्टेम 160 करोड़ रु. की प्राधिकृत पूंजी तथा कंपनी के ज्ञापन और संख्या के अंतर्नियम के अनुसार 16 करोड़ रु. की अभिदत्त पूंजी के साथ कंपनी अधिनियम–1956 के सेक्शन 25 के तहत "लाभ निरपेक्ष" कंपनी के रूप में दिनांक 7 अगस्त, 2007 को निगमित किया गया था ।
(i) शेयरपूंजी 15 करोड़ रुपए अधिक कथित की गई है और शेयर अनुप्रयोजन 57.69 करोड़ रुपए सरकार से अनुदान के रूप में प्राप्त रकम को जोड़ने के कारण अधिक कथित किया गया है। इसका परिणाम पूंजी आरक्षति का 79.69 करोड़ रुपए कम दर्शाना भी रहा है ।	दिनांक 31.3.2008 तक के अंकेक्षित तुलन–पत्र के अनुसार वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु कंपनी की आरंभिक प्रदत्त पूंजी 31 करोड़ रु. (एकतीस करोड़ रुपये मात्र) और शेयर अनुप्रयोग धन खाता में शेष 17,69,56,990 रु. था । वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान कंपनी को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से 40 करोड़ रु. प्राप्त हुआ जिसके संदर्भ में धन की प्रकृति का उल्लेख नहीं किया गया था । महालेखा–परीक्षण के लेखा–परीक्षक दल के द्वारा गत वर्ष यह मुद्दा उठाए जाने पर कंपनी द्वारा त्वरित रूप से खाद्य

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम)

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान के लेखों पर 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत के महालेखा नियंत्रक और परीक्षक की टिप्पणियां

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान के 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय कथन कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन विहित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार हैं और उनका दायित्व कंपनी के प्रबंधन का है । कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अधीन भारत के महालेखा नियंत्रक और परीक्षक द्वारा नियुक्त कानूनी लेखापरीक्षक का दायित्व उनके पेशेवर निकाय इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा विहित लेखापरीक्षा और आश्वासन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अधीन इन वित्तीय कथनों पर राय देने का है । ऐसा कहा गया है कि अपनी लेखा परीक्षा रपट दिनांक 30.6.2009 के माध्यम से उनके द्वारा ऐसा किया जा चुका है ।

मैंने 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत के महालेखा नियंत्रक और परीक्षक की ओर से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(ख) के अधीन **राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंध संस्थान** के वित्तीय कथनों में अनुपूरक लेखापरीक्षण किया । यह अनुपूरक लेखापरीक्षा स्वतंत्र रूप में की गई और कानूनी लेखापरीक्षकों के कार्यशील कागज पत्रों तक बिना पहुंच (कार्यशील दस्तावेजों के समीक्षा शून्यता की स्थिति में) के की गई है और मुख्यतः यह कानूनी लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों की पूछताछ तक और कुछ चुनिन्दा लेखा अभिलेखों की जांच तक सीमित थी । मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डालना चाहता हूं जो मेरी जानकारी में आए और जो मेरे विचार से वित्तीय कथनों और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट को बेहतर ढंग से समझने के लिए आवश्यक है ।

लेखा परीक्षक की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
क. तुलनपत्र 1. शेयरधारकों की निधि शेयर पूंजी – 31 करोड़ रुपए शेयर अनुप्रयोजन धन – 57.69 करोड़ रुपए (i) शेयरपूंजी 15 करोड़ रुपए अधिक कथित की गई है और शेयर अनुप्रयोजन 57.69 करोड़ रुपए सरकार से अनुदान के रूप में प्राप्त रकम को जोड़ने के कारण अधिक कथित किया गया है। इसका परिणाम पूंजी आरक्षति का 79.69 करोड़ रुपए कम दर्शाना भी रहा है ।	निफ्टेम 160 करोड़ रु. की प्राधिकृत पूंजी तथा कंपनी के ज्ञापन और संख्या के अंतर्नियम के अनुसार 16 करोड़ रु. की अभिदत्त पूंजी के साथ कंपनी अधिनियम–1956 के सेक्शन 25 के तहत "लाभ निरपेक्ष" कंपनी के रूप में दिनांक 7 अगस्त, 2007 को निगमित किया गया था । दिनांक 31.3.2008 तक के अंकेक्षित तुलन–पत्र के अनुसार वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु कंपनी की आरंभिक प्रदत्त पूंजी 31 करोड़ रु. (एकतीस करोड़ रुपये मात्र) और शेयर अनुप्रयोग धन खाता में शेष 17,69,56,990 रु. था । वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान कंपनी को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से 40 करोड़ रु. प्राप्त हुआ जिसके संदर्भ में धन की प्रकृति का उल्लेख नहीं किया गया था । महालेखा–परीक्षण के लेखा–परीक्षक दल के द्वारा गत वर्ष यह मुद्दा उठाए जाने पर कंपनी द्वारा त्वरित रूप से खाद्य

NATIONAL INSTITUTE OF FOOD TECHNOLOGY ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT (NIFTEM)

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 619 (4) OF THE COMPANIES ACT,1956 ON THE ACCOUNTS OF NATIONAL INSTITUTE OF FOOD TECHNLOGY ENTREPRENUERSHIP AND MANAGEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2009.

The preparation of financial statements of **National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management** for the year ended 31st March 2009 is in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 1956 is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 619 (2) of the Companies Act, 1956 is responsible for expressing opinion on these financial statements under section 227 of the Companies Act, 1956 based on independent audit in accordance with the auditing and assurance standards prescribed by their professional body the Institute of Chartered Accountants of India. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 30.06.2009.

I on the behalf of the Comptroller and Auditor General of India have conducted a supplementary audit under section 619 (3) (b) of the Companies Act, 1956 of the financial statement of **National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management** for the year ended 31st March 2009. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers (in case of non-review of working papers) of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under section 619(4) of the Companies act, 1956 which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related Audit Report.

COMMENT OF CAG	MANAGEMENT REPLY
A. Balance sheet 1. Shareholders' Funds Share Capital Rs. 31.00 crore Share Application Money Rs. 57.69 crore i) The Share Capital is overstated by Rs. 15 crore and Share Application Money is overstated by Rs. 57.69 crore due to inclusion of the amount received from Government as grant. This has also resulted in understatement of Capital Reserve by Rs. 72.69 crore	NIFTEM was incorporated on 7th August, 2007 with an authorized capital of Rs. 160 crore and subscribed capital of Rs. 16 crore as per Memorandum and Articles of Association of the Company, as a Company 'not for profit' u/s 25 of the Companies Act 1956 The opening paid up capital of the Company for financial year 2008-09 was of Rs.31 crore (Rupees thirty one crore only) and balance in Share Application Money a/c was of Rs.17,69,56,990/- as per audited Balance Sheet as at 31.03.2008. During the financial year 2008-09, the Company has received Rs.40 crore from the Ministry of Food

लेखा परीक्षक की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
	प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के समक्ष प्रकरण को प्रस्तुत किया गया और तत्पश्चात प्रकरण पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा 160 करोड़ रु. तक अवमुक्त धन को इक्विटी तथा अनुदानरूपी जमा के रूप में व्यवहृत किए जाने के लिए सक्षम अधिकारियों का अनुमोदन प्राप्त करने संबंधी कार्रवाई की गई । मंत्रालय से कुल प्राप्त धन वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान 48.69 करोड़ रु. तथा वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान 40 करोड़ रु. थे जिसमें से 16 करोड़ रु. अभिदत्त पूंजी थी, 15 करोड़ रु. कंपनी के निदेशक मंडल के अनुमोदन से 2007–08 में शेयर पूंजी में स्थानांतरित किया गया तथा शेष को शेयर अनुप्रयोजन धन खाता में रखा गया । खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से कंपनी को प्राप्त कुल धन समान प्रकृति के है, प्रसंगानुकूल किसी अभिलेखीय प्रमाण के अभाव में यह नहीं माना जा सकता कि मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन के अभिदत्त 16 करोड़ रु. तथा शेष जमा का 72.69 करोड़ रु. अनुदान के कारण है । ऐसी स्थिति में सरकार का निर्णय लंबित होने की दशा में 57.69 करोड़ रु. (15 करोड़ रु. घटाकर जिसके लिए वर्ष 2007–08 में शेयर आवंटित किए गए) शेयर अनुप्रयोजन धन खाता के शीर्ष के अधीन प्रदर्शित किया गया है । उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए 72.69 करोड़ रु. की मात्रा में न तो शेयर पूंजी और शेयर अनुप्रयोजन धन अभिकथित है और न ही पूंजी रिजर्व अधोकथित है । हम आश्वस्त करते है कि इस प्रकरण में जैसे ही सरकार द्वारा अपने अंतिम निर्णय से अवगत करवाया जाएगा, आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जाएगा ।
2. लेखाओं पर टिप्पणियाँ : (i) टिप्पणी सं. 1 – कंपनी के द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची VI के भाग II की अपरिहार्यताओं के अनुसरण में आय और व्यय लेखा नहीं तैयार किया गया है ।	चूंकि कंपनी निर्माणाधीन है, अतः कंपनी द्वारा गत वर्ष से आई.सी.ए.आई. द्वारा निर्गत "निर्माण अवधि के दौरान व्ययों के निरूण पर निर्देशिका टीका" का अनुसरण किया गया है । यद्यपि उपरोक्त निर्देशिका टीका आई.सी.ए.आई. द्वारा 19.8.2008 को वापस ले लिया गया फिर भी कंपनी द्वारा इस निर्देशिका का अनुसरण किया गया क्योंकि वर्ष के दौरान व्यय की बड़ी मात्रा किसी परिसंपत्ति से प्रत्यक्षतः संबंधित नहीं थी

COMMENT OF CAG	MANAGEMENT REPLY
	Processing Industries without mentioning the nature of funds released. After the issue was raised by CAG Audit Party last year, the Company is actively pursuing the matter with the Ministry of Food Processing Industries and, in turn, Ministry of Food Processing Industries is seeking the approval of competent authority for treating the released funds upto Rs.160 crore as equity and balance as grant. Total funds received from the Ministry upto the end of financial year 2007-08 were of Rs.48.69 crore and Rs. 40 crore during F.Y.2008-09 out of which Rs.16 crore was the subscribed capital, Rs. 15 crore was transferred to Share Capital in 2007-08 with due approval of Board of Directors of the Company and the balance was kept in Share Application Money a/c. Total funds received by Company from the Ministry of Food Processing Industries were of same nature; hence it cannot be assumed that Rs. 16 crore subscribed to the Memorandum of Association and the balance of Rs. 72.69 crore were on account of Grant in the absence of any documentary evidence to that effect. In the circumstances, the sum of Rs. 57.69 crore (excluding Rs. 15 crore for which shares were allotted in 2007-08), was shown under the head Share Application Money a/c, pending decision by the Government. Considering the facts and circumstances as stated above, neither the Share Capital and Share Application Money are overstated nor the Capital Reserve is understated by Rs.72.69 crore. We assure that changes, if any, required will be made as soon as the Government conveys its final decision in this matter.
B. Notes on Accounts i) Note No.1 – The Company has not prepared Income & Expenditure in accordance with the requirement of Part II of Schedule VI to the companies Act, 1956	Since the company is under construction stage, the company has followed the "Guidance Note on treatment of expenditure during construction period" issued by the ICAI since last year. Though the said Guidance note was withdrawn on 19.08.2008 by the ICAI, the company has

लेखा परीक्षक की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
	तथा इस प्रकृति की थी कि शैक्षणिक सत्र के आरंभ होने पर प्रासंगिक अचल परिसंपत्तियों में अनुभाजित कर दिया जाएगा। यहां यह भी उल्लेखनीय होगा कि – "निर्माण अवधि के दौरान अनुषंगिक व्ययों का लेखा" के निर्माण से कंपनी के लेखाओं का प्रस्तुतीकरण निरूपित नहीं होता है । तथापि यह आश्वस्त किया गया जाता है कि अगले वर्ष से आय और व्यय लेखा तैयार किया जाएगा ।
(ii) टिप्पणी सं. 5 – पूँजीगत खाता में पूरा किए जाने के लिए शेष तथा अग्रिम की सुविधा से रहित निविदाओं की अनुमानित राशियां अधोकथित हैं –	
(क) भवन निर्माण – प्रदत्त निविदाओं की कीमत का आकलन नहीं करने के कारण 45.67 करोड़ रु. की मात्रा में	सरकार ने निफ्टेम मूल रूप से अनुमोदित सिविल लागत 75.10 करोड़ रु. मात्र तक ही निफ्टेम के भवन निर्माण कार्य करने के लिए निर्बन्धित किया है । 75.10 करोड़ रु. की राशि में निर्माण–लागत के साथ एच.वी.ए.सी. तथा अभिकरण प्रभार समाहित है । चूंकि भवन पर 75.10 करोड़ रु. मात्र तक ही खर्च करने की प्रतिबद्धता है, इसी आधार पर "पूरा किए जाने हेतु शेष पूँजीगत कार्य" का अभिनिर्धारण किया गया है । इस तरह से भवन निर्माण निविदाओं के संदर्भ में पूंजीगत प्रतिबद्धताओं में कोई अधोकथन नहीं है ।
(ख) तकनीकी जानकारी शुल्क भुगतान योग्य सेवाकर कर आकलन नहीं करने के कारण 49 लाख रु. की मात्रा में ।	3.925 करोड़ रु. की प्रतिबद्धता में से हमारे द्वारा पहले ही चालू दरों पर सेवा कर के साथ 1.445 करोड़ रु. की राशि का भुगतान किया जा चुका है । शेष राशि पर वर्तमान में लागू दरों के आधार पर भुगतान योग्य सेवा कर केवल 25.54 लाख रु. आकलित होता है । इस दायित्व को आने वाले वर्षों में निर्वहन के लिए चिन्हित किया गया है । लागू होने वाले दर पर सेवा कर का आकलन किया जाएगा और समझौता के तहत पूँजीगत प्रतिबद्धता में जोड़ दिया जाएगा ।

COMMENT OF CAG	MANAGEMENT REPLY
	followed the said guidance note because the major amount of expenses incurred during the year was not related directly to any asset and was of such nature that will be apportioned to relevant Fixed Assets upon the commencement of academic session. It may also be stated here that preparation of "Statement of Incidental Expenditure during Construction Period" has not resulted in distortion of presentation of accounts of the company. However, it is assured that Income and Expenditure account shall be prepared from the next year onwards.
ii) Note No. 5 - Estimated amounts of contracts remaining to be executed capital account and not provided for, net of advances, is understated:-	
a) Building Construction – by Rs. 45.67 crore due to not considering value of contract awarded.	Government has restricted NIFTEM to undertake construction of the buildings of NIFTEM upto the originally approved civil cost of Rs.75.10 crore only. The amount of Rs.75.10 crore includes construction cost of buildings along with HVAC and Agency Charges. Since the commitment to incur expenditure on buildings is to the extent of Rs. 75.10 crore only, the capital work remaining to be executed was worked out accordingly. Hence, there is no understatement of the capital commitment in respect of building construction contracts.
b) Technical know-how fee – by Rs. 49 lakh due to not considering service tax payable.	Out of the commitment of Rs. 3.925 crore, we have already paid a sum of Rs. 1.445 crore plus service tax at applicable rates. On the balance amount service tax payable works out to Rs. 25.54 lakh only at the current applicable rate. The requirement is noted for compliance in the coming years. Service tax at the applicable rate shall be calculated and added to the capital commitment under the agreement.

NIFTEM
KNOWLEDGE • INNOVATION • OUTREACH

पंजीकृत कार्यालय :

Registerd Office :

तृतीय तल, ए.एम.डी.ए. भवन, 7/6 सिरी फोर्ट इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली–110 049

3rd Floor, AMDA Building, 7/6, Sirifort Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi-110 049

फोन नं./Phone No. : 011-26497131 फैक्स नं./Fax No. : 26497134

Printed By National Cooperative Printing Press New Delhi Ph.:-26568408